असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 नवम्बर, 2017

षोडश विधान सभा बुधवार, तिथि 29 नवम्बर, 2017 ई0
अष्टम् सत्र 08 अग्रहायण, 1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित बाबू, आसन को पता है कि आपने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है, वह सूची में है लेकिन उसको उठाने का एवं उसके निस्तारण का समय भी निर्धारित है तो जो कार्य स्थगन का समय है, उस समय बताइयेगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपनी सीट से तख्ती दिखाते एवं कुछ बोलते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न नहीं चलेगा क्या ? इस तरीके से आप सदन को क्यों बाधित करते हैं ? इसके अलावे कोई समस्या नहीं है, आप अपने स्थान पर जाइये, शून्यकाल में उठाईयेगा ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम वेल से अपनी सीट पर चले गये)

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या: 6 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री: महोदय, जिला पदाधिकारी, नवादा ने प्रतिवेदित किया है कि नवादा जिले के विभिन्न प्रखंडों नारदीगंज के ओडो, इचुआकरण, नारदीगंज, ननौरा, हडियॉ, मसौढ़ा, परमा, करुआरा एवं कोशला, मेसकौर प्रखंड के सहबाजपुर, सराय एवं अकरीपाण्डेय बिघहा, नरहट प्रखंड के नरहट एवं बभनौर, अकबरपुर प्रखंड के माखर, कुलनी एवं तेयार, पकड़ीबरावॉ प्रखंड के पोकसी, रोह प्रखंड के ओहारी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के खाता से कुल पॉच करोड़, 34 लाख, 28 हजार, दो रुपया अवैध निकासी की गयी है । जॉच प्रारंभ किये जाने के उपरोन्त नारदीगंज प्रखंड के इचुआकरण, नारदीगंज, ननौरा, मसौढ़ा, परमा एवं कोशला, मेसकौर प्रखंड के सहबाजपुर, सराय एवं अकरीपाण्डेय बिघहा, अकबरपुर प्रखंड के कुलनी एवं तेयार, पकड़ीबरावॉ प्रखंड के पोकसी, रोह प्रखंड के ओहारी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं सचिवों के द्वारा निकासी की गयी कुल दो करोड़, 11 लाख, 22 हजार, 64 रुपये पुन: मुख्यमंत्री निश्चय योजना के खाते में वापस कर दी गयी है । शेष ग्राम पंचायतों में जांच की कार्रवाई चल रही है । जिला पदाधिकारी, नवादा ने यह भी

टर्न-1/राजेश/29.11.17

प्रतिवेदित किया है कि मामला संज्ञान में आने के उपरांत संपूर्ण जिले में मुख्यमंत्री निश्चय योजना की राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति के अतिरिक्त अन्य के द्वारा निकासी पर पत्रांक 760 दिनांक 03.10.17 के द्वारा रोक लगा दी गयी है । सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव को अवैध रुप से सीधे राशि की निकासी के विरुद्व स्पष्टीकरण की मांग की गयी है । इसमें नारदीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हड़िया के पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है तथा ग्राम पंचायत माखर अकबरपुर प्रखंड के पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्व स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हेतु इसकार्यालय के पत्रांक-863/पंचा0 दिनांक 11.11.17 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी,अकबरपुर को निदेश दिया गया है । मुखिया/पंचायत सचिव पर प्राप्त स्पष्टीकरण पर उनके विरुद्व विधि सम्मत कार्रवाईकी जा रही है । नारदीगंज प्रखंड में जिन पंचायतों के द्वारा राशि वापस नहीं की गयी है,उनके यहॉ योजनाओं की जांच हेतु पत्रांक-866/पंचा0 दिनांक 11.11.17 के द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है । इस प्रकार अकबरपुर प्रखंड के माखर पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है । इस संबंध में जिला पदाधिकारी, नवादा को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि जिन पंचायतों ने नियम विरुद्व अवैध निकासी की है एवं राशि खाते में जमा नहीं करायी है उनपर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाय । साथ ही पूरे मामले की सम्यक जांच करवाकर एक सप्ताह के अंदर विभाग को प्रतिवेदित करें । यह भी उल्लेखनीय है कि यह गबन अस्थायी गबन का मामला है, जिसपर सम्यक् कार्रवाई की जा रही है । राज्य के अन्य जिलों को भी मुख्यमंत्री निश्चय योजना मद की राशि के संबंध में आवश्यक जांच कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि नवादा जिला में सृजन के तर्ज पर 13 अक्तूबर के समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है, तो 13 अक्तूबर और आज हम नवंबर के अंतिम समय में है, तो इस स्थिति में इतने दिन के बाद अभी तक माननीय मंत्री जी ने सृजन के तर्ज पर जो घोटाला हुआ है, यह केवल नवादा जिला में नहीं है महोदय, इन्होंने कहा कि बिहार के अन्य जिलों में भी जिला पदाधिकारी को जांच का आदेश दिये हैं, तो जो जांच का आदेश दिये, तो उसमें क्या फलॉफल हुआ और भी जिले में सृजन के तर्ज पर यह घोटाला कितने का है जिलावार और जिलावार कितनी राशि दी गयी और उसमें अवैध निकासी कितनी हुई, सरकार को इसकी जानकारी सदन को देना चाहिए । महोदय, यह घोटाला है और यह सरकार घोटाला पर घोटाला कर रही है और ये कह रहे हैं कि हम जांच करा रहे हैं, तो जांच का फलॉफल क्या हुआ महोदय, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री कपिलदेव कामत, मंत्रीः महोदय, निकासी की जो जानकारी मिली है, उसमें से दो करोड, 11 लाख, 22 हजार, 64 रुपये पुनः मुख्यमंत्री निश्चय योजना के खाते में वापस कर दी गयी है । शेष पंचायत सचिव और मुखिया को जहॉ विभागीय पत्रांक-9681/पंचायती राज दिनांक 28.11 के द्वारा नवादा को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि जिन-जिन ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं सचिव के द्वारा अवैध निकासी की गयी और राशि वापस नहीं की गयी है, उनके विरुद्व तत्काल स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके विरुद्व जांच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर विभाग को प्रतिवेदित करें, तो अभी प्रतिवेदन आया नहीं है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी नवादा की बात कर रहे हैं या पूरे बिहार की बात कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य ललित बाबू आपका प्रश्न ही नवादा जिले के बारे में है, पूरे बिहार का प्रश्न नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, इसमें हमने स्पष्ट कहा है कि सृजन के तर्ज पर नवादा जिला में यह निकासी हुई है और हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि बिहार के अन्य जिले में कितनी राशि दी गयी और संबंधित जिले में अवैध निकासी कितनी की गयी और उसके विरुद्व कौन सी कार्रवाई की गयी, तो माननीय मंत्री जी नवादा जिला का तो बताये लेकिन उमसें भी जो पदाधिकारी हैं, उसके विरुद्व कौन सी कार्रवाई हुई और अन्य जिले में कितनी राशि आवंटित हुई और कितनी राशि अवैध निकासी हुई, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देना चाहेंगे और इसके विरुद्व क्या कार्रवाई हुई ?

अध्यक्षः माननीय ललित जी, सरकार ने आपकी बातों को सही माना है, आपने जो कहा कि अवैध निकासी हुई, तो सरकार ने माना की अवैध निकासी हुई और सरकार ने उसपर कार्रवाई प्रारंभ की, उसके तहत पॉच करोड़, 34 लाख रुपये के लगभग अवैध निकासी हुई थी, उसमें से लगभग दो करोड़, 11 लाख रुपये से उपर फिर से जमा कर दिया गया और जिन पंचायतों के मुखिया या सचिव के द्वारा नहीं किया गया है, उनके विरुद्व एफ0आई0आर0 भी दर्ज किया गया है, जिसकी तिथि भी उन्होंने बतायी है और बाकी जिलों के जिलाधिकारियों को भी एलर्ट करके कहा गया है कि आप अपने यहॉ भी इसको देखिये कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, यह माननीय मंत्री महोदय ने बताया, अब आप कार्रवाई क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूॅ । मैं पूरे बिहार के संबंध में कह रहा हूॅ कि सृजन के तर्ज पर मुख्यमंत्री निश्चय योजना में घोटाला हुआ है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, यह बार-बार घोटाला सुनने में आ रहा है या चाहे मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार के कोई भी मंत्री हो, एक बात कहकर बच जाते हैं कि कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जायेगा । महोदय, हमने तो कल भी यह सवाल पूछा था कि अब तक कितने जिलाधिकारियों पर, कितने बड़े अधिकारियों पर, कितने मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है, यह कोई एकाध घोटाले की बात नहीं है, कोई एक जिले की बात नहीं, बल्कि लगातार पूरे बिहार में इस तरह के समाचार और खबरें आ रही हैं और इस प्रकार का हालात हो गया है, तो सरकार को इसपर गंभीरता से आदेश देना चाहिए ।

क्रमशः

टर्न-2/सत्येन्द्र/29-11-17

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल(क्रमशः): बल्कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऐक्शन उल्टे दिशा में लिया जाता है, जिलों में लीपापोती की जाती है और सब जगह के जो आंकड़ें हैं, हर जिलों में जैसे सृजन के तर्ज पर एक जिला का मामला आया तो दूसरे जिलों में भी ऐसा लगता है कि हर जगह इनके औफिसर और अधिकारी जो हैं लीपापोती में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे छुपाया जाय उजागर न किया जाय और जो दोषी हैं उनको संरक्षण दे रहा है और उस पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो महोदय,अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो प्रश्नकाल का कोई मतलब नहीं है, हमलोग विकास के लिए योजना के लिए यहां क्यों बैठे हुए हैं, किस प्रकार का डिस्कशन कर रहे हैं, क्या विकास करेंगे जब बिहार के जब ट्रेजरी में पैसा ही नहीं होगा,महोदय, एकाध स्कीम में पैसा नहीं निकाला जा रहा है, हर स्कीम में निकाला जा रहा है तो इस पर मुख्यमंत्री जी को आकर स्पष्ट हाउस में बतलाना पड़ेगा कि इस तरह से बिहार में, कबतक आखिर यह सब चलता रहेगा ? ये 12-13 साल से जब से ये सरकार में है और अब तो यह प्रतीत होता है कि इसीलिए ही मुख्यमंत्री जी हमलोग को छोड़कर गये हैं चूंकि हमलोग के साथ घोटाला करने में बन नहीं पा रहा था। हम आसन से यही उम्मीद करते हैं कि सदन के नेता को बुलाकर के भ्रष्टाचार पर .....

अध्यक्षः अब आपने अपनी बात कह दी है। ठीक है।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री ने बड़ा ही स्पष्ट बतलाया है ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बड़ा स्पष्ट (व्यवधान) माननीय सदस्य ललित जी ने एक जिले का मामला उठाया था इनके सवाल उठाने के पहले (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अखबार में जिस जगह का जिक्र था अखबार का जो

इन्होंने कटिंग लगाया और अखबार का जो इन्होंने जिक्र किया है उस आधार पर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी दी है और पूरे राज्य में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं और इस प्रकार की कार्रवाई अवैध निकासी हुई है, उसकी रिपोर्ट अगर मिलती है तो जांच कर के बतलाईए। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि आपको अगर किसी जिले की जानकारी हो, तो दीजिये, आप लिखकर दीजिये और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं पर भी मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत अगर अवैध निकासी के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जायेगी। अन्य जगह से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जैसी ही जानकारी प्राप्त होगी और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि चाहे वह चारा घोटाला हो, या अलकतरा घोटाला हो या सृजन घोटाला हो ये सरकार किसी को बख्सेगी नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और चाहे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। किसी को बचाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और इसीलिए अगर कहीं पर किसी जिले में माननीय सदस्यों को अगर कोई जानकारी हो तो लिखित रूप में सरकार को उपलब्ध करायें, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं और पाताल में अगर छिपा होगा भ्रष्टाचारी तो भी खोजकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल: महोदय, बात फिर वहीं उल्टा घुमकर आया, बात वही दोहराया जा रहा है जो मंत्री जी ने बतलाया कि कार्रवाई होगी तो 12 साल से आप लोग कितने साल से सरकार में हैं और अब लगातार घोटाला हो रहा है और अभी तक कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है ? ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई उल्टी दिशा में की जा रही है, क्या जो डबल इंजन लगा है वह भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए लगा है बिहार में कि बिहार के विकास के लिए लगा है, कार्रवाई अबतक कितने बड़े अधिकारियों पर हुई है जो पहले घोटाले हुए थे उसमें कितने मंत्रियों को सजा हुई, इसका क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं उपमुख्यमंत्री जी तो इस पर बतलाना चाहिए उनको।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सभी लोग कृपया बैठ जाईए । हम आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि जो प्रश्न माननीय ललित कुमार यादव जी ने पूछा, सरकार ने इस प्रश्न की पृष्टि की है, जो ये अवैध निकासी हुई और इसके विरूद्ध जो सरकार कार्रवाई कर रही है जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ है उस सब की जानकारी दी और कहा कि दूसरे जिला में भी जो कलक्टर हैं उनको अलर्ट किया गया है और आप सबों से भी अनुरोध किया है कि कोई इस तरह की बात हो तो सरकार कार्रवाई करेगी तो अब और क्या चाहिए ? (व्यवधान) अब आगे चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दलः यह जनता का पैसा है किसी के बाप का पैसा नहीं है और ये पैसा जो है वह विकास कार्य में लगना चाहिए । अगर चोर पैसा चुराकर के जाता है पब्लिक का तो बिहार की जनता का अधिकार है कि एक-एक पैसे का हिसाब ले। (व्यवधान)यहां के पब्लिक को, बिहार की जनता को इतना अधिकार बनता है कि जितना टैक्स में बिहार की जनता ने अपना पैसा दिया यह जो जनता का पैसा है उसका हिसाब भी जनता के सामने रहना चाहिए महोदय यह सरकार को बतलाना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 99

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि मोतीपुर प्रखंड में कुल 65 पथों का उपग्रह सर्वेक्षण किया गया है। उक्त 65 पथों में से एक मात्र पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से मोहनपुर छपरा पथ की आबादी 250 से कम है। स्वीकृति उपरांत इस पथ का सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है । शेष 250 से अधिक आबादी वाले पथों का निर्माण शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 से कराया जाना है । (व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें । बैठे बैठे कुछ नहीं बोलें, आपके बोलने का कोई मतलब नहीं होता है और सदन में अशांति होती है ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः तो महोदय, पुनः माननीय सदस्य द्वारा 204 अनजुड़े बसावटों की सूची जनसंख्या के साथ सर्वेक्षण हेतु प्राप्त हुई । सभी 204 अनजुड़े बसावटों का सर्वेक्षण कर सूची कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जिसकी जांच करायी जा रही है । जांचोपरांत शीघ्र कार्रवाई की जायेगी ।

श्री नन्द कुमार रायः अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर के द्वारा जी0पी0एस0 में गड़बड़ी के चलते जो हुआ था तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पत्रांक 1266 दिनांक 2-8-17 द्वारा कार्यपालक अभियंता, मुजफफरपुर ने भेजा था जी0पी0एस0 की गड़बड़ी के संबंध में तो उस रोड का निर्माण कराने का कार्य करेंगे ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, हमने बताया जो सेटेलाईट से सर्वेक्षण किया गया उसमें 65 पथों की चर्चा है इसमें रेस्ट जो छूट गये हैं उसको बाद में हमलोग जांच कराकर के एम0एम0जी0एस0वाई0 से बनवा देंगे । सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक सारे टोले और बसावटों को हमको सम्पर्कता देना है तो इसमें तत्काल हमलोग कुल 4643 जो सर्वे हुआ है प्राथमिकता अभी हम उसी को दे रहे हैं, उसके बाद रेस्ट हमलोग कर लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 100

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्रीः (1)आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मधेपुरा जिलान्तर्गत राज्य पथ संख्या 91 बीरपुर-उदाकिशुनगंज पथ के प्रश्नाधीन पथांश का पूर्व में किये भू-अर्जन का मुआवजा भुगतान प्रभावित भू-धारियों/ रैयतों को नहीं किया जा सका था । फलतः वर्त्तमान परियोजना के क्रियान्वयन पर संबंधित रैयतों द्वारा मना कर दिया गया । पथांश

से संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई नयी सिरे से सत्त लीज नीति 2014 के तहत प्रक्रियाधीन है।

(2) इस पथांश को मोटरेबुल रखने हेतु संबंधित संवेदक द्वारा पूर्व में आवश्यकतानुसार कार्य किया गया है। पुनः इसकी मरम्मति हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(क्रमशः)

टर्न-3/मधुप/29.11.2017

...क्रमशः ....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : 3- उक्त कंडिका-2 में अंकित पथांश को सुगम बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है । कंडिका-1 में वर्णित पथांश में भूमि अधिग्रहण के उपरांत निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि दो-तीन साल से लगातार रघुनाथपुर से कोल्हापट्टी जो अधूरा सड़क पड़ा हुआ है उसको जान-बूझकर छोड़ दिया गया है । अभी जो माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया है, उस बात से हम संतुष्ट हैं कि किसान को राशि भुगतान के बाद कोल्हापट्टी से रघुनाथपुर खंड-1 का कार्य कराया जायेगा लेकिन उसी पथांश में उसी रोड में लक्ष्मीपुर से शीतल मीलविशुनपुर तक किसान का जो लैंड एक्वायर हुआ है उसका पैसा भुगतान कर दिया गया है विभाग की ओर से, संवेदक द्वारा आधा-अधूरा काम करके, रोड का एलाइमेंट साफ दिखाई दे रहा है, आधा-अधूरा कार्य करके जान-बूझकर तीन साल से छोड़ दिया गया है जिससे बिहारीगंज बाजार से निकलने में काफी कठिनाई होती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उस कार्य को जल्द से जल्द करा दिया जाय ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : महोदय, इसमें मेरा एक पूरक प्रश्न है । चूंकि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पथ है और यह वीरपुर से लेकर उदाकिशुनगंज तक आती है । आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो अनंतकालीन लीज प्रक्रिया शुरू की गई है उसके तहत पथ संख्या 91 में रघुनाथपुर एवं कोल्हापट्टी के बीच भू-अर्जन सरकार कबतक करा लेगी ?

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, नरेन्द्र बाबू उस विभाग के मंत्री रहे हैं जहाँ से भू-अधिग्रहण होता है । महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बिहारीगंज बाईपास है उसके भू-अर्जन का काम पूरा हो गया है, तुरंत उसमें काम लगेगा, एक प्रक्रियागत कठिनाई थी, उसको भी दूर करने का निदेश विभाग को दे दिया गया है । रघुनाथपुर बाईपास में

जमीन अधिग्रहण का विषय अभी पेंडिंग है और जल्दी-जल्दी काम को करके अगले वित्तीय वर्ष में उस काम को पूरा कराने का लक्ष्य हमने रखा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 101 (श्री मेवालाल चौधरी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि असरगंज प्रखंड को 01 अक्टूबर, 2017 को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है । प्रखंड के कुल लक्ष्य 8727 शौचालय विहीन परिवारों के विरूद्ध 8727 परिवारों को शौचालयों की सुविधा प्राप्त है जिसमें वर्ष 2016-17 में 2799 एवं वर्ष 2017-18 में 4910 लाभार्थियों, कुल 7709 के द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया है । शेष 117 एवं 1001 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण क्रमशः वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किया गया है । प्रखंड कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 1901 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है । शेष लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है जिसे एक माह के अंदर पूर्ण कर दिया जायेगा ।

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 8727 शौचालय का ऐक्युअल में टारगेटेड था उसमें से 7709 शौचालय बनाये हैं, उसमें से मात्र 3816 आदमी को पेमेंट हुआ है और अभी भी करीब 4500 लोगों को पेमेंट होना है । मेरा एक ही निवेदन है अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि एक साल तकरीबन हो गया है, अभी तक पेमेंट उन गरीब आदमी को नहीं हुआ है, हमलोगों के इनिसियेटिव पर वे लोग शौचालय बना लिये हैं ।

दूसरी बात, असरगंज प्रखंड का असरगंज पंचायत जो है, उसमें पी0एच0ई0डी0 के समय ही शौचालय बनाया गया था, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, वह डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है ग्रामीण विकास विभाग और पी0एच0ई0डी0 के माध्यम से । अभी तक उसमें किसी का पेमेंट नहीं हुआ है । महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय उसको भी देखें और उसको भी पेमेंट कराने का प्रयास करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि एक साल पहले ओ0डी0एफ0 कर दिया गया है, 01 अक्टूबर, 2017 को ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया है । मैंने स्पष्ट कहा कि एक महीने के अन्दर उनको प्रोत्साहन राशि दे दी जायेगी । शेष 5808 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, हम एक महीना के अन्दर भुगतान करा देंगे और पी0एच0ई0डी0 के बारे में उन्होंने जो कहा है, उसको हमलोग बेसलाईन सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के उपरांत जब वे सही पाये जायेंगे तो प्रक्रिया के तहत उनको भी भुगतान कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेवालाल जी, आपका और प्रश्न है क्या ?

श्री मेवालाल चौधरी : सर, एक और प्रश्न है ।

अध्यक्ष : आपको तो मंत्री जी ने साफ-साफ कहा है कि एक महीने में भुगतान करा देंगे तो अब क्या पूछना चाहते हैं । ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से पटना जिला में शौचालय घोटाला हुआ है उसी तर्ज पर, माननीय सदस्य भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, इतने विद्वान हैं और इनकी जानकारी में है कि 7500 के लगभग को पेमेंट होना था उसमें से 300 कुछ का भुगतान हुआ तो क्या पटना जिला के तर्ज पर वहाँ भी तो शौचालय निर्माण में घोटाला हो गया है ? मंत्री जी ने इसका जाँच करा लिया है या नहीं कराया है ?

अध्यक्ष : भुगतान ही नहीं हुआ है तो घोटाला कैसे हो गया होगा ? भुगतान होता तब न घोटाला की बात होती !

श्री ललित कुमार यादव : पटना जिला में कैसे हो गया महोदय ? उसी तर्ज पर वहाँ भी तो नहीं हुआ है महोदय ?

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि राशि रहते हुये पूरे राज्य में शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि नियम बना दिया गया है कि एक वार्ड में जबतक काम पूरा नहीं होगा, तबतक भुगतान नहीं किया जायेगा । इस वजह से न कहीं एक वार्ड में काम जल्दी पूरा होता है और न दूसरे लोग शौचालय का निर्माण करा पाते हैं । यह सबसे बड़ी बाधा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार उस नियम को समाप्त करे । जिसने शौचालय बना लिया उसका भुगतान हो जाय तो मैं समझता हूँ कि तुरंत शौचालय बनाने का काम पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने एक प्रासंगिक बात की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । यह बात कई जगह से आ रही है कि जो लाभुक हैं, उनको समय पर राशि इसलिये नहीं मिल पाती है क्योंकि एक नीति बन गई है कि जब पूरा वार्ड का काम हो जायेगा तभी उनको राशि मिलेगी । होता है कि जो लोग बना लिये और उनको 6 महीना तक राशि नहीं मिलती है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, दूसरे लोग बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं । इसलिये इसकी कोई ऐसी व्यवस्था सोचिये ताकि लोग शौचालय बनाने के लिये प्रोत्साहित हों ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा काम है । सिर्फ सरकार के भरोसे

ओ0डी0एफ0 नहीं किया जा सकता है, जबतक सभी वर्गों का, सभी जन-प्रतिनिधियों का जन-सहयोग नहीं मिलेगा तबतक यह नहीं हो सकता है ।

महोदय, सिर्फ हमारा काम शौचालय के लिये प्रोत्साहन राशि देने का नहीं है, हम तो विचार में परिवर्त्तन की बात करते हैं, व्यवहार में परिवर्त्तन की बात करते हैं ।

टर्न-4/आजाद/29.11.2017

तारांकित प्रश्न सं0-102 (श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री: 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र के तुरकौलिया प्रखंडन्तर्गत कुल तीन नलकूपों में से शंकर सरैया तथा बिजुलपुर उत्तरी नलकूप चालू है, बिजुलपुर दक्षिणी विद्युत दोष से बन्द है । बिजुलपुर दक्षिणी नलकूप को विद्युत दोष दूर करने हेतु विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया है । विद्युत दोष दूर होने के पश्चात् नलकूप को चालू करा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप लाया गया है और यह तीसरा कृषि रोड मैप है । बिहार के सभी कोने में आज नलकूप बन्द पड़े हैं और विभाग के द्वारा गलत रिपोर्ट देकर के सदन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि सदन के माध्यम से जॉच बैठे और जिन विषयों पर चालू की बात की जा रही है, वह पूर्णत: बन्द है और इतना ही नहीं, मैंने जितना भी नलकूप की चर्चा उसमें किया हूँ, उसके साथ पूर्वी चम्पारण जिला का एक भी नलकूप चालू नहीं है । सभी बन्द पड़े हैं और किसान सिंचाई के लिए हाहाकार कर रहा है । इसलिए मैं जानना चाहूँगा, इसी में मेरा सप्लीमेंट्री है, मैं सरकार से जानना चाह रहा हूँ महोदय आपके माध्यम से कि कब तक किसान के हित में तमाम नलकूपों को चालू कराने का नीयत सरकार रखती है ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महादेय, माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने दो जगह नलकूप खराब होने की बात कही है । लेकिन दोनों जगह से रिपोर्ट आया है, दोनों जगह नलकूप चालू है । जिसकी चर्चा इन्होंने नहीं की, उस जगह पर भी विद्युत दोष के कारण बन्द है और यदि वह दूर हो जायेगा तो उसको भी चालू करा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ मेरे द्वारा दो नलकूपों की चर्चा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से सदन की कमिटी बने और पूरे बिहार की जॉच हो जाय कि कितने परसेंट नलकूप चालू हैं ? मेरे विधान सभा की ही जॉच करा लीजिए, मेरे विधान सभा में जितने भी नलकूप हैं, क्या सरकार के पास यह सूची है कि मेरे विधान सभा में कितने नलकूप हैं और अगर दो विधान सभा की बात हो रही है तो क्या

सरकार के पास सूची है कि मेरे विधान सभा में कितने नलकूप हैं, किसान बेहाल हैं, सिंचाई की सुविधा बन्द है, क्या सरकार .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट बैठ जाईए । माननीय सदस्य, आपने पूछा है दो नलकूपों के बारे में शंकर सरैया और बिजुलपुर, माननीय मंत्री ने कहा कि यह दोनों चालू है, अगर आपका कहना है कि यह दोनों खराब है, नहीं चल रहा है तो स्वभाविक रूप से यह जॉच का विषय बनेगा लेकिन अगर आप मंत्री जी को इस जवाब को कि यह दोनों चालू है, इसको आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे का क्या मतलब है ?

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, विभाग के द्वारा जो गलत तरीके से सदन को गुमराह किया गया है, मैं चुनौती देता हूँ कि कमिटी बनाकर इसकी जॉच करायी जाय, क्योंकि सभी बन्द पड़े हैं।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी, यह दोनों चालू है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं चालू है, आप इसकी वरीय पदाधिकारी से जॉच करा दीजिए ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : जॉच करा देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके विधान सभा का माननीय मंत्री कहां से जवाब देंगे । हमारे विधान सभा में भी बन्द है । माननीय सदस्य नेमातुल्लाह जी का, माननीय मंत्री ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-103(श्री (मो0) नेमातुल्लाह)</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि माह अगस्त,2017 में गंडक नदी में अप्रत्याशित जलश्राव प्रवाहित होने के फलस्वरूप सारण तटबंध के कुछ बिन्दुओं पर टुटान होने के पश्चात् माझा, बरौली, बैकुण्ठपुर एवं सिधवलिया पंचायत में आंशिक क्षति हुई थी । उक्त बिन्दुओं पर सारण तटबंध की मरम्मती हेतु निविदा आमंत्रित कर दी गई है एवं कार्य को 15 मई,2018 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : महोदय, जो इनका पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा इंजीनियर साल भर निगरानी करता है लेकिन बरसात के दिनों में जो स्थिति बनी है, हमलोग पिछले एक साल से चाहे मुख्यमंत्री जी का प्रमंडलीय बैठक हो या विधान सभा हो, कहीं भी हर जगह इस बात को हमलोगों ने उठाने की कोशिश की, उठाया कि सारण बांध को पूरी मजबूती से बांधा जाय । इतनी जर्जर स्थिति है, उससे भयंकर खतरा बाढ़ का बना रहता है । लेकिन यह बांध आज बांधा जाता है और कल मुख्यमंत्री जाते हैं और टूट जाता है, यह स्थिति है इस सरकार की । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सारण बांध को मजबूती से बांधा जाय । अगर चूहा उसमें लग गया है तो चूहे को मारने की भी व्यवस्था की जाय, इस तरह से ऐसे नहीं चलेगा चूँकि हर साल खतरा बना रहता है सारण बांध का । आज देखिए , हर साल बर्बाद होता है, फसल बर्बाद हो गया .....

अध्यक्ष : सवाल तो पूछिए ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : महोदय, मेरा सवाल है कि सारण बांध और उसकी छड़की को कब तक बांधने का सरकार विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 15 मई,2018 तक ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, सारी घटनायें बाढ़ के समय में होती है और लगातार बांध टूटती है । भागलपुर में भी घटना घटी, जिसके बारे में कई सदस्यों ने जिक्र किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी को उदघाटन करना था लेकिन वह समय से पहले, एक-दो दिन पहले ही टूट गया । हमारी इतनी राय होगी महोदय कि जब भी बांध बने तो मजबूत बांध बनाया जाय, कभी बाढ़ के समय में बांध टूट जाता है, कभी चूहा के वजह से टूट जाता है । थोड़ा मजबूती के साथ क्वालिटी का अच्छे तरीके से निगरानी रखी जाय ताकि अच्छे ढंग से काम हो ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, एक मिनट । माननीय नेता विरोधी दल ने सारण तटबंध की जो चर्चा हो रही थी, उसमें भागलपुर में बटेश्वर स्थान में गंगा पम्प नहर योजना में जो टूटान हुआ, उसकी भी चर्चा की । हम आग्रह करेंगे माननीय नेता विरोधी दल से कि कल सदन में जल संसाधन विभाग का बजट है, उसपर वे विस्तृत रूप से अपनी बात रखें और सरकार का जवाब सुनने तक इन्तजार करें, हर बात का जवाब दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : दोनों आदमी की तो बात मिल रही है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : जो कह रहे हैं, वही होना चाहिए लेकिन होता कुछ और है ।

महोदय, एक बात माननीय मंत्री जी ने जो कहा, हमलोग जवाब सुनेंगे, बैठेंगे भी, सब कुछ होगा लेकिन जो बार-बार इस तरह का सिलसिला देखने को मिलता है, बाढ़ से क्षति किसका हो रहा है, बिहार की आम जनता का हो रहा है और इस प्रकार से बाढ़ से बांध टूटने की वजह से कई लोग प्रभावित हुए, कई लोगों का जान-माल का नुकसान हुआ । तो उसके लिए बाढ़ का मुआवजा का पैसा भी सरकार नहीं दे पा रही है और स्पेशल पैकेज देने की बात थी, केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रू0 देने की घोषणा की, पता नहीं अब तक मिला कि नहीं मिला तो महोदय, वह बात नहीं है लेकिन मंत्री जी का यही राय रहेगा, जो कह रहे हैं, वह कम से कम इम्पलीमेंट तो होना चाहिए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-104 (श्री जय वर्धन यादव)</u>

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. वर्तमान में बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत दुल्हिनबाजार प्रखंड के लिए सतत् लीज पर भूमि लिये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

3. भूमि के उपलब्ध होने के उपरान्त प्रखंड भवन निर्माण की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि लीज पर भूमि ले रहे हैं लेकिन महोदय, उप विकास आयुक्त,पटना ने भूमि अंकित करके इनके पास प्रक्रिया के लिए भेज दी है तो मेरा आग्रह होगा कि एक समय सीमा तय करके इस भवन को बनवा देते तो बड़ी कृपा होती ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-105(सुश्री पूनम पासवान)

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी,पटना के पत्रांक-1323 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में वार्ड नं0-6 का चयन कर नियमानुकूल कार्रवाई किया जायेगा । वर्तमान में किसानों के द्वारा खेती का कार्य सामान्य रूप से किया जा रहा है ।

टर्न-5/अंजनी/29.11.2017

तारांकित प्रश्न संख्या-106(श्री आनंद शंकर सिंह)

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1- स्वीकारात्मक है ।

खंड-2- प्रश्नाधीन आहर का स्थल निरीक्षण एवं सर्वेक्षण करा लिया गया है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-107(श्री बशिष्ठ सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड अन्तर्गत बलभद्रपुर गांव के पास धर्मावती नदी पर पुल का निर्माण पुल निर्माण निगम द्वारा कराया गया है । पुल के पूरब की तरफ डेढ़ किलोमीटर एवं पश्चिम में तीन किलोमीटर लगभग लम्बाई में एप्रोच है । दोनों तरफ एप्रोच पथ की जमीन कच्ची एवं सरकारी है । पक्की पहुंच पथ का निर्माण नहीं हुआ है । रोहतास जिला के अंतर्गत कोचस प्रखंड के करमछाता-सकरौली गांव के पास गौरेया नदी में बने पुल का निर्माण विशेष प्रमंडल, सासाराम द्वारा कराया गया है । इस पुल के दक्षिण भाग में सिसिरिया भगवानपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सकरौली पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत एप्रोच का कार्य कराया जा चुका है एवं उत्तर भाग वाले एप्रोच की लम्बाई 150 मीटर है, जिसमें सरकारी भूमि उपलब्ध है लेकिन पक्की पहुंच पथ का निर्माण नहीं हुआ है । दोनों पुलों के पहुंच पथ के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 की मांग की जा रही है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और साथ-ही आपसे आग्रह है कि.....

अध्यक्ष : डी0पी0आर0 मांग करने के लिए धन्यवाद ।

श्री बशिष्ठ सिंह : जी, वे बनवा देंगे, वही हम कहना चाहते हैं कि शीघ्र इसको बना दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-108(श्रीमती कुन्ती देवी)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, खंड-1-अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन नीमचक बथानी प्रखंड-सह- अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है । कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया के पत्रांक 1054 दिनांक 28.07.2016 द्वारा भवन हस्तांतरण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमचक बथानी को पत्र दिया गया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमचक बथानी के पत्रांक 437 दिनांक 11.08.2016 द्वारा भवन हस्तांतरण स्वीकार किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-109(श्री गुलाब यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.08 किलोमीटर है, जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना से कराया गया था । यह पथ श्रेणी-1 की अर्हता रखता है तथा पथ का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

श्री गुलाब यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो जानकारी है, वह गलत है । रोड की लम्बाई एक किलोमीटर नहीं है, बल्कि लगभग 06 किलोमीटर है और जर्जर है और पांच साल से कोई मेन्टेनेंस का कार्य नहीं हुआ है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें पांच साल से जो मेन्टेनेंस का कार्य नहीं हुआ है तो सरकार के पैसे का गबन तो हो ही चुका है तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि समयवद्ध कार्रवाई करके अविलम्ब रोड बनाने की कृपा करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-110(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्केप किशुनगंज वितरणी के 41.40 आर0डी0 पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है परन्तु इससे नहर का अतिरिक्त पानी प्रवाहित होता है । इस स्केप से नि:सृत अतिरिक्त पानी हरैली धार में गिरता है । इसके क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई सुविधा प्रभावित नहीं है तथा

किशुनगंज वितरणी में अंतिम छोर तक पानी प्रवाहित होता है । क्षतिग्रस्त स्केप का मरम्मति कार्य खरीफ सिंचाई वर्ष 2018 के पूर्व करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-111(श्री यदुवंश कुमार यादव)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प ज्ञापांक-935(एस) दिनांक 07.02.2017 में मापदंड निर्धारित है । इस पथ का फिजिविलिटी रिपोर्ट प्राप्त हो गया है, समीक्षा करने का आदेश दिया गया है, समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, जो मापदंड है, उस मापदंड को यह सड़क पूरा करता है। सबसे बड़ी बात है कि जितनी लम्बाई में यह सड़क बनेगी जिला मुख्यालय की दूरी उतनी ही घट जायेगी । सर, यह अति महत्वपूर्ण सड़क है, इसको लेकर शीघ्र काम पूर्ण कराया जाय । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप कबतक इस रोड को पूरा करेंगे ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा है कि एक मार्गदर्शिका बनी है 07 फरवरी, 2017 को और जब फिजिविलिटी रिपोर्ट प्राप्त होता है तो उसके लिए एक कमिटी बनी है जो उसकी समीक्षा करती है । समीक्षोपरांत अगर इस मापदंड में आयेगा तो जरूर बनाया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-112(डॉ0 रामानुज प्रसाद)

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : महोदय, यह जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : जल संसाधन में ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-113(श्री रामदेव राय)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत बाया नदी के बायें किनारे बिसौआ जमींदारी बांध निर्मित है, जिसकी लम्बाई 12.90 कि0मी0 है । उत्तर की दिशा में इसके समानान्तर एन0एच0-28 से सटे हुए मुंगेर तटबंध निर्मित है । वर्ष 2016 में गंगा में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण बाढ़ का पानी उक्त जमींदारी बांध को कई जगहों पर ओवर टॉप कर रानी-3 आदि गांव में पहुंच गया था । परन्तु उत्तर की तरफ मुंगेर तटबंध को पार नहीं कर पाया था । उक्त बाढ़ का पानी दोनों तटबंधों के बीच ही स्थिर रहा था । बछवाड़ा, भगवानपुर एवं तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत तटबंध के मात्र नदी भाग की तरफ बसे किसानों एवं फसल

को क्षति पहुंची थी । एन0एच0-28 को कोई नुकसान नहीं हुआ था । उक्त जमींदारी बांध के आठ टूटान स्थलों के अलावा अत्यन्त कमजोर भाग का पुनर्स्थापन बाढ़ 2017 के पूर्व करा लिया गया है । शेष कमजोर भाग कि0मी0 4.06 से 5.26 एवं कि0मी0 7. 60 से 8.95 तक पुनर्स्थापन का कार्य बाढ़ 2018 के पूर्व कराये जाने का कार्यक्रम है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, माननीय मंत्री जी के पहल पर ही 2016 में हमलोग एन0एच0 को बचा पाये थे । उसमें इनके विभाग से ज्यादे वहां के ग्रामीण और सहयोगी लोग उसको बचाने में काम किये थे, वह भी इनकी कृपा थी लेकिन उसके बाद मरम्मति का कार्य उस भाग में आज तक नहीं हो पाया है, जिस भाग में क्षति हुई थी वर्ष 2016 में । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप स्वयं चलकर अगर उस स्थल को देख लेते तो कम-से-कम सम्पूर्ण आई0ओ0सी0, फर्टिलाइजर एरिया, किसान और एन0एच0 चारों को इससे लाभ होता, यही आपसे निवेदन है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि जो आठ जगह टूटान हुआ था, उस टूटान का मरम्मती नहीं कराया जा सका था पिछले साल और इस साल 2018 के बाढ़ के पहले उन सभी जगहों पर मरम्मती कार्य करा लिया जायेगा और उसको दुरूस्त कर दिया जायेगा ।

श्री रामदेव राय : क्या मेरे निवेदन पर आप स्वयं उसका निरीक्षण करेंगे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आप जरूर बुलायेंगे तो हम चलेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-114(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जी0टी0 रोड वर्डी-रिउर रोड में अंकोरहा रेलवे स्टेशन तक पथ की लम्बाई 25 किलोमीटर है । यह पथ एन0एच0-2 एवं अंकोरहा रेलवे स्टेशन को जोड़ता है । यह पथ वरूण प्रखंड एवं नवीनगर प्रखंड को जोड़ता है । यह पथ श्रेणी-1 की अर्हता रखता है । श्रेणी-1 में शामिल कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है एवं माली थाना से चरण पथ श्रेणी-1 में पड़ता है । जिसका डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है, तदनुसार पथों की मरम्मती करा दी जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-115(श्री शिवचन्द्र राम)

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री : महोदय, वर्त्तमान में यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। इस पथ की कुल लम्बाई 15.10 किलोमीटर में मात्र 3.00 किलोमीटर का एन0ओ0सी0 ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त हुआ है । फलस्वरूप अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की गयी है । पूरे पथ का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है । जो एस0एच0-49 में हुआ और एन0एच0-103 को जोड़ने का काम करता है । आज जो स्थिति है 15.01 किलोमीटर का, अभी यहां के लोगों को जाने में, अगर यहां के लोग महुआ जाते हैं तो उनको 35 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है । वर्ष 2006 में तीन किलोमीटर का एन0ओ0सी0 चला गया । हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, वरिष्ट मंत्री भी हैं और हमारे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, एन0ओ0सी0 12 किलोमीटर का ऐसे चला गया है । कार्यपालक अभियंता, महुआ के द्वारा पत्रांक 322 दिनांक 07 मार्च, 2017 को एन0ओ0सी0 भेजा जा चुका है । हम माननीय मंत्री जी से चाहेगे कि आप ग्रामीण कार्य विभाग से अनुरोध करके क्या इस सड़क को अतिशीघ्र बनाने का विचार रखते हैं ?

टर्न-6/शंभु/29.11.17

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, शिवचन्द्र बाबू तो मंत्री रहे हैं, सुनते ही नहीं हैं तो क्या होगा? मैंने क्या कहा ? मैंने कहा कि इस पथ की लंबाई 15.10 कि0मी0 है, उस में मात्र 3 कि0मी0 एन0ओ0सी0 ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त है । फलस्वरूप अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की गयी । पूरे पथ का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । यही तो जवाब दिया मैंने, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ । मेरे पास जितनी जानकारी है उसके अनुसार केवल 3 कि0मी0 का एन0ओ0सी0 प्राप्त हुआ है । मैंने कहा आपसे कि पूरे पथ का एन0ओ0सी0 प्राप्त करके हम कार्रवाई करेंगे । आप जो कह रहे हैं कि मार्च में प्राप्त हो गया है । मेरी जानकारी में मेरे विभाग में नहीं है, मैं उसको देखवा लेता हूँ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम तो पहले बता चुके हैं कि माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं और जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं।

अध्यक्ष : आपने दोनों चीज कहा है-वरिष्ठ मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात कि ये आपके जिले के प्रभारी मंत्री हैं । यह भी कहा है आपने ।

श्री शिवचन्द्र राम : एन0ओ0सी0 के बारे में हम कहे हैं कि अगर इनको उपलब्ध नहीं हुआ है तो वरिष्ठ मंत्री मेरे कहने का मतलब है कि क्या उस विभाग से मंगवाने का ये कष्ट करेंगे और कष्ट करेंगे तो कब तक बनावायेंगे ?

अध्यक्ष : इन्होंने तो कहा है कि.....

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मैं फिर पढ़ता हूँ । महोदय जानना आवश्यक है । मैंने कहा है कि पूरे पथ का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । भाई

अब कैसे जवाब दें । आप खुद मंत्री रहे हैं, अगर यह जवाब आप नहीं सुन पाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ । मैं तो कह रहा हूँ वही बात जो वे कह रहे हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-116(श्रीमती बीमा भारती)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के रहिकपुर किला मोहन पंचायत में हलहलिया मध्य विद्यालय से टांड़ टोला गुरूमी जानेवाली कच्ची सड़क राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 26, संपर्क रोड नं0-एस0/047 पर हलहलिया से मंडल टोला के रूप में अंकित है। उक्त पथ एवं पुल का सर्वे कार्य एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत कराया गया है। डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है, स्वीकृति के उपरांत इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्रीमती बीमा भारती : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-117(श्री जिवेश कुमार)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है। 1- कमतौल से जंगाही टोला पथ। इस पथ की लंबाई 3 कि0मी0 है। पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 क्रमांक 49 पर कमतौल से जहांगीर बेलवार पथ के नाम से अंकित है। 2- कमतौल बसैठा पी0डब्लू0डी0 सड़क से जगवन होते हुए रमौल तक पथ, इस पथ की लंबाई 1.4 कि0मी0 है। पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 48 पर ढडिया पुस्तकालय से हिरापट्टी पथ के नाम से अंकित है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथों का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, सी0एन0सी0पी0एल0 क्रमांक में अंकित है, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। निधि की उपलब्धता कब होगी ? निधि की उपलब्धता करना सरकार का काम है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ये दो अति लोक महत्वपूर्ण सड़क में निधि की उपलब्धता करवाएं और इसका निर्माण तुरंत करवायें।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-118(श्री भोला यादव)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, प्रश्नाधीन पुल स्थल राज्य के किसी भी रेखन पर नहीं है। स्थल के पूरब तरफ धनखी गांव है जिसे एम0एम0जी0एस0वाइ0 योजनान्तर्गत निर्मित धनखी बसंत से संपर्कता प्राप्त है। स्थल के पश्चिम तरफ काली ग्राम है जिसे एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित अम्बेदकर काली पथ से संपर्कता प्राप्त है। अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री भोला यादव : महोदय, पटोरी एक बहुत बड़ा गांव है और हम काली का चर्चा किये हैं, काली और पटोरी के बीच में ये जो रक्सी नदी है इसमें जाने आने में 14 कि0मी0 घूमकर के इस गांव के लोग आते जाते हैं। यदि एक छोटा पुल बनेगा, छोटा सा धार है और यदि इसमें एक पुल बन जाता है तो 1 कि0मी0 के दायरे में गांव की कनेक्टीविटी हो जायेगी। पता नहीं माननीय मंत्री जी को किस आधार पर ऐसा रिपोर्ट दिया गया है। मैं मंत्री जी को चैलेंज करता हूँ कि इसकी जॉच करवा लें। ये दोनों महत्वपूर्ण गांव है दोनों के बीच में कनेक्टीविटी होना है। माननीय मंत्री जी के पीछे माननीय मंत्री मदन सहनी जी बैठे हुए हैं वे जानते हैं इस चीज को और उनके द्वारा भी इस मुद्दा को जब वे विधायक थे, रखा गया था, लेकिन आज तक यह पुल नहीं बन पाया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसकी जॉच करवाकर के इस पुल को बनाने की दिशा में ठोस निर्णय से सदन को अवगत करावें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसके आलोक में माननीय मंत्री जी इसको देखवा लीजिए।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को हम बताये कि दोनों तरफ संपर्कता दे दिये हैं उसके बाद फिर से जॉच करवा लेते हैं।

श्री भोला यादव : दोनों तरफ संपर्कता दिये हैं मंत्री जी लेकिन दोनों तरफ के संपर्कता से घूमने में 16 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है, जब कि 1 कि0मी0 के रेडियस में वह पार कर जायेगा। इसीलिए उसकी जरूरत है।

अध्यक्ष : ठीक है उसको देखवा लेंगे।

श्री भोला यादव : माननीय मंत्री मदन बाबू से जॉच करवा लीजिए इसका।

तारांकित प्रश्न सं0-119(श्री मेवालाल चौधरी)

श्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत बेलहरनी नदी का डिशिल्टेशन कार्य तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य नहीं है। क्योंकि अगर नदी को गहरा किया जाता है तो इससे निकलने वाले कई टांड़ जिनसे इन क्षेत्रों में सिंचाई होती है, मृतप्राय हो जायेगी।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, डिशिल्टिंग की समस्या नहीं है इस बात को हमलोग जानते हैं। यह रनिंग फ्लो रीवर है। इसमें एक ही प्रोब्लम है जो बेलहरनी कैनाल में पानी बेलहरनी नदी हलमना डैम से आता है, वहां पर एक गेट लगा हुआ है गेट की हालत बहुत जर्जर है, अगर गेट को रिपेयर करा दिया जाय और जो बेलहरनी कैनाल है उसमें इतना ज्यादा इनक्रोचमेंट हो गया है कि उक्त कैनाल की सफाई नहीं हो पाती है। सर, आपके माध्यम से टेंडर भी किया गया था और जो ठीकेदार था वह भाग भी गया और कोई काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रोब्लम सर, इन्क्रोचमेंट है और दूसरी बात जो गेट है जहां से पानी आता है, अगर उस गेट को रिपेयर करा दिया जाय तो पानी का फ्लो हो जायेगा।

दूसरा एक सीरीज ऑफ चेकडैम बनाना पड़ेगा, चूंकि पानी फ्लो कर जाता है और यदि सीरीज ऑफ चेकडैम बना दिया जाय तो 1 हजार एकड़ भूमि इससे सिंचित हो जायेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह सब सुझाव तो आप अपना लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा वे देखवा लेंगे, लेकिन प्रश्न में तो आपने नदी को गहरा करने की बात की है और मंत्री जी ने उसको असंभाव्य बताया है। आपके बाकी सुझाव आप लिखकर दे दीजिएगा देखवा लेंगे माननीय मंत्री जी।

श्री मेवालाल चौधरी : जी।

तारांकित प्रश्न सं0-120(श्रीमती लेशी सिंह)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की कुल लंबाई 12 कि0मी0 है। अत्यधिक वाहन एवं अतिवृष्टि के कारण पथ की स्थिति दयनीय हो गयी है। इस पथ का कार्यशीर्ष 3054 विशेष मरम्मति अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में कराया गया था जिसमें पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान नहीं था। यह पथ श्रेणी-1 के पथों की सूची में शामिल होने की अर्हता रखता है। इसे श्रेणी-1 में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। तद्नुसार इसकी स्वीकृति के उपरांत मरम्मति कराना संभव हो सकेगा।

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कब तक श्रेणी-1 में सम्मिलित कर सड़क की मरम्मति कराने का विचार रखते हैं ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, इसको प्रक्रिया में लगवा देते हैं और देखवा लेंगे।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव।

टर्न-7/अशोक/29.11.2017

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : आज दिनांक 29.11.2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं:-

श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री विजय शंकर दूबे ।

आज सदन में राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक-एक करके बोलिये न । एक-एक करके बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : इतने महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था पर है महोदय, हाल के दिनों में राज्य एवं खासकर के राजधानी पटना में विधि व्यवस्था काफी बद्तर स्थिति में पहुंच चुकी है । बिहार पुलिस के अपने आंकड़ो से यह स्पष्ट है कि तीन महीने के दौरान संज्ञेय अपराध दर की वृद्धि हुई है, प्रत्येक प्रमुख अपराध यथा हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, दंगे आदि की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो चिन्ता का विषय है, अपराधियों के मन से प्रशासन का भय समाप्त हों चुका है, जनता के मन में सुरक्षा की भावना समाप्त हो चुकी है, चारों ओर असुरक्षा का महौल है । ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : आसन स्वयं अवगत है कि कल समस्तीपुर जिला के, आपके निर्वाचन क्षेत्र के अधीन कितनी बड़ी घटनायें घटी हैं । आज दिन प्रति दिन बिहार में अपराधीक घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, कानून और व्यवस्था आपकी चरमरा गई है, सरकार कानून व्यवस्था को मैन्टेन करने में पूर्णरूपेण विफल है । इसलिए मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप सदन को स्थगित कर इस पर विशेष विमर्श कराने की कृपा करें । आप स्वयं जानते हैं हुजूर कि कल कितनी बड़ी घटनायें घटी हैं, प्रत्येक दिन बिहार में में सैंकड़ों लोगों की हत्यायें हो रही है..

अध्यक्ष : आपकी सूचना को अमान्य कर दिया गया है । अब शून्य-काल । अब शून्य-काल, माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह । शून्य काल में आप ही लोग की सूचनायें हैं । आप ही लोग की सूचना है ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश माननीय सदस्य सदन के वेल में चले आये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने जगह पर जाइये न ! आपलोगों के महत्वपूर्ण शून्य काल हैं, ध्यानाकर्षण हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर जाकर तो बोलिये जो कुछ सुना जायेगा ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-23(2) एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के नियम-21(3) के तहत् बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2014-16 का विशेष प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

श्री बिनोद कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) तथा बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम-147 के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या-3018, दिनांक 10.10.17 / 4042, दिनांक 17.10.17 / 3077, दिनांक 13.10.17 / 3058, दिनांक 12.10.17 / 3031, दिनांक 11.10.17 / 3083, दिनांक 13.10.17 / 4006, दिनांक 16.10.17 / 4044, दिनांक 17.10.17 एवं 7097, दिनांक 17.11.17 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-70(2) के तहत् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब कृपया कर के अपने जगह पर जाइये, आपके नेता बोल रहे हैं । आपलोग अपने जगह पर जाइये न ! आपके नेता बोलेंगे, सदन में व्यवस्था रहेगी तब न वो बोलेंगे कि ऐसी अव्यवस्थित सदन में वे बोलेंगे ? आप ही फैसला करिये कि आपके नेता व्यवस्थित सदन में बालेंगे या अव्यस्थित सदन में बोलेंगे, आपको फैसला करना है । आप अपनी जगह पर जाइये । आप अपनी जगह पर जाइये ।

(इस अवसर पर सदन के वेल में मौजूद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है और कार्य स्थगन का प्रस्ताव रामदेव बाबू ने, ललित जी ने जो लाने का काम किया है, आसन से यही हमारी मांग है कि इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर विचार करके इसको आप

एक्सेप्ट करें और लगातार अभी देखा जा रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध का जो ग्राफ है, यह तीन चार महीनों से, जब से नई सरकार बनी है, लगातार अपराध के ग्राफ में वृद्धि हो रही हैं, मर्डर हो, लूट हो, पाट हो, चैन स्नेचिंग हो, बलात्कार हो, गैंग रेप हो तरह-तरह की बातें लगतार समाचार के माध्यम से यह देखने को मिलता है । अभी हाल में घटना जो हुई है, जहां इतना शराब के कारोबारी और शराबमाफिया इतने बेलगाम हो गये कि अब पुलिस की भी हत्या करने चले गये । यह समस्तीपुर में जो घटना हुई है यहां हवलदार को गोली मार दी जाती है शराब माफिओं द्वारा ....

श्री श्रवण कुमारअध्यक्ष महोदय,, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये न । मेरी पूरी बात सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : जब अमान्य हो गया महोदय, कार्य स्थगन जब अमान्य कर दिया आसन ने महोदय तो इस पर डिबेट हो सकता है ? नियमावली में प्रावधान है क्या कि इस पर डिबेट हो सकता है? कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान है क्या कि इस पर डिबेट हो सकता है ? (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष, कार्य संचालन नियमावली में अगर प्रावधान है तो डिबेट सही है लेकिन कार्य संचालन नियमावली में डिबेट का प्रोभिजन नहीं है । आसन ने अमान्य कर दिया महोदय और डिबेट हो रहा है महोदय यह तो नियम का भॉयलेशन हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : गैंग रेप होता है एक महिला के साथ, गैंग रेप करने वाले ने पूरी तरह से शराब पी कर गैग रेप करने का काम किया । कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । लॉ एण्ड आर्डर की ऐसी स्थिति बन गई है जैसे कि अपराधियों का राज चल रहा है । क्रमशः

टर्न-8/ज्योति/29-11-2017

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : पूरे बिहार में सुशासन नहीं कुशासन की सरकार चल रही है इसपर पूरे तरीके से लौ ऐण्ड और्डर मेन्टेन करने में बिहार सरकार विफल हो चुकी है । यहॉ सुशील मोदी जी, डिप्टी सी.एम. एक एक दिन में 4-4 व्यापारियों की हत्या हो जाती है, पहले कोई मामला होता था तो घर जाते थे लेकिन आज यह नौबत आ गयी है कि सुशील मोदी जी किसी के घर नहीं जा

रहे हैं । आज क्यों नहीं व्यापारियों की हत्या हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है । आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जंगल राज है या महाजंगल राज है । तो इसमें जो आप महोदय, देखियोगा कि इसको सहन नहीं किया जा सकता है । यह लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है । एकाध घटना नहीं ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव , नेता विरोधी दल : अभी कुछ दिन पहले महोदय, बिजेनश स्टैण्डर्ड से लेकर टाईम्स औफ इण्डिया हर जगह अखबारों में छपा है और एक पत्रकार की भी हत्या हो गयी है ।

अध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष अब आगे की कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : जनर्लिस्ट शॉट बाई मैन औन बाईक टू डेज आफ्टर केस रिजौलभ्ड मर्डर । आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग महिलाओं का भी रेप हो रहा है ।

अध्यक्ष : अब आगे की कार्यवाही चलने दीजिये ।

शून्य काल

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में शिक्षकों के सृजित पद 57 है जिसमें मात्र 19 शिक्षकों के भरोसे लगभग 13 हजार छात्रों का भविष्य अंधकारमय है अतः आग्रह है कि जल्द से जल्द सरकार उक्त कॉलेज में सृजित पद की संख्या के अनरुप शिक्षकों की व्यवस्था करे ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड के बड़की चिलमी पंचायत अन्तर्गत चिलमी, भूईयाडीह, मठपर, महापुर, बुधौल आदि गांवों में संचालित कालीन उद्योग सरकार के सहायता के बिना बंद हो चुके हैं । जनहित में कालीन उद्योग में लगे लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

(श्री समीर कुमार महासेठ- सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान अपने निर्माण काल से राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता रहा है, जिसका बहुत तेजी से व्यवसायीकरण किया जा रहा है इसपर अविलंब रोक लगाई जाए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उर्दू एवं बांग्ला विषय का टेट परीक्षा 2013 में लिया गया था, जिसमें बोर्ड की लापरवाही एवं गलत प्रश्नों के कारण हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, सरकार झारखंड एवं राजस्थान की सरकारों की तरह ग्रेस देकर उन्हें बहाल करे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पश्चिम चंपारण के बेतिया प्रखंड के करगहिया पंचायत में 25 वर्षों से बेतियाराज की जमीन पर दस हजार परिवार बसे हैं उनमें एक हजार सिर्फ गरीबों के घरों को आज ही बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को अविलंब उजाड़ना बंद करें ।

(श्री नीरज कुमार -सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, सहरसा जिले के सदर थाना अंतर्गत भोजपुरी फिल्म स्टार मो0 जुनैद की हत्या का दो महीने से अधिक हो चुका है लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । सरकार से हत्यारे के अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन प्रखंड के बारुन-दाउदनगर पथ से धर्मपुरा पथ में पटना कैनाल पर अवस्थित पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है । कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है । अतः सरकार बड़ी दुर्घटना को रोकने हेतु धर्मपुरा रोड में पटना कैनाल के जर्जर पुल का शीघ्र निर्माण करावे।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, रामनगर विधान सभा के अंतर्गत प्रखंड रामनगर एवं गौनाहा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारी का स्थानान्तरण कने की मांग करती हूँ ।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, स्व0 तौकीर अकरम, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, जिलाधिकारी, बक्सर ने दिनॉक 19-11-2017 को आत्महत्या कर ली, किन्तु परिवारजनों को संदेह है कि उनकी हत्या भूमाफियाओं द्वारा की गयी है, की जॉच सी.बी.आई. से कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग करता हूँ ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 29/17 (फरवरी माह) जो दलित उत्पीड़न एवं अत्याचार का है जिसमें अभी तक स्थानीय थाना एवं जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है । मामले की जॉच कराकर दोषियों एवं दोषी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करें ।

(श्री यदुवंश कुमार यादव- सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, कटिहार नगर थाना कांड सं0-729/17 में धार्मिक स्थल पर शरारती तत्वों द्वारा किए गए रोड़ेबाजी की घटना में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है । साथ ही इससे उत्पन्न हुए जनाक्रोश पर सरकार निर्दोष लागों पर झूठा मुकदमा वापस ले तथा गिरफ्तारी पर अविलंब रोक लगावे ।

(डा0 राजेश कुमार, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री भोला यादव द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री रामदेव राय : महोदय, श्री गुरुगोविन्द सिंह जी के आगामी प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर पटना सिटी के बाजार प्रांगण की जमीन पर श्री गुरुगोविन्द सिंह स्मारक डेयरी विश्वविद्यालय का निमार्रण करते हुए बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान का पूर्ण स्थायी अपरिवर्तनीय व्यवस्था हो जो विश्व का धरोहर हो ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनायें ली जायेंगी ।

<u>ध्यानाकर्षण-सूचना</u>

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, भाई वीरेन्द्र एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

.....

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 15 नवम्बर से धान खरीद की सरकारी घोषणा के बावजूद धान क्रय केन्द्रों पर ताले लटक रहे हैं । रब्बी की बुआई के लिए जरुरतमंद किसान औने-पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचने को मजबूर हैं ।

अतएव किसानों को धान का समर्थन व प्रोत्साहन मूल्य कम से कम 3200 रुपया प्रति क्वींटल देने, कागजात एवं धान में नमी की अनिवार्यता को

समाप्त कर रैयत किसानों से 250 क्विंटल व बटाईदार किसानों से 100 क्वींटल धान खरीदने तथा बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देने (ताकि इन्हें भी डीजल सब्सिडी, फसल क्षति मुआवजा, बैंक में के.सी.सी., क्रय केन्द्रों पर फसल बिक्री सहित कृषि क्षेत्र का सभी लाभ मिल सके) के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राणा रणधीर सिंह, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । महोदय, खरीफ वितरण वर्ष 2017-18 अंतर्गत धान खरीद 15 नवम्बर 2017 से प्रारम्भ है और इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर से निर्गत अधिसूचना ज्ञापॉक 5753 दिनॉक 14-11-2017 से निर्गत दिशा निर्देश पत्रांक 5765 दिनॉक 14-11-17 के आलोक में सहकारिता विभाग के स्तर से निर्गत ज्ञापॉक 8865 दिनांक 14-11-2017 एवं पत्रांक 8900 दिनॉक 16-11-17 द्वारा सभी संबंधित को निर्देशित किया गया है । तद्नुसार जिला में धान क्रय केन्द्र संचालित हो चुके हैं । धान के क्रय में नमी के कारण बाधा आ रही है। जिसके निदान हेतु भारत सरकार से नमी के मानक 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत करने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रथम चरण में विभाग स्तर से 40 राईस मिल वाले पैक्स में ड्रायर की स्थापना नमी के प्रबंधन हेतु की जा रही है । किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार उच्च स्तर पर निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है । वर्ष 2017-18 के रैयत किसानों से 200 रुपया प्रति क्वींटल एवं गैर रैयत किसानों से 75 क्वींटल तक की मात्रा की सीमा में बढ़ोतरी की गयी है धान अधिप्राप्ति कार्य में गैर रैयत कृषकों की भागीदारी बढ़ी है ।

टर्न-9/29.11.2017/बिपिन

(व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 नवम्बर से धान की खरीद जारी है । माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों में सहकारिता विभाग ने कितने धान की खरीद की है पूरे बिहार में ? यह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं ।

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: सुदामा जी, नमी के कारण बाधा आ गई है लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि नालन्दा जिले में, खगड़िया जिले में और अररिया जिले में करीब 2000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है । जैसे ही बिहार में नमी का जो ऐवरेज है वह करीब

साढ़े बीस से बाइस के बीच में है । जैसे ही यह मानक के अनुरूप आ जाएगा, धान की अधिप्राप्ति में गति आएगी ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए।)

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, ये धान की नमी का बहाना बनाकर कागज-पत्तर का हर साल देखते हैं कि पूरे बिहार में किसानों को लूटा जाता है । मैं मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि यह धान की नमी और कागज-पत्तर की अनिवार्यता को खतम किया जाए । पूरे बिहार में खेती घाटे में जा रही है । एक क्विंटल धान पैदा करने में 1600 रूपया खर्च होता है किसानों का । अगर जमीन परती रहे तो 2100 रूपए । यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग का कहना है । तो मोदी जी ने भी कहा था कि डेढ़ गुना हम समर्थन मूल्य देंगे तो मंत्री महोदय जी, बिहार सरकार के जो हैं और केंद्र सरकार बोल रही है तो किसानों को 3200 रूपए क्विंटल धान का .....

अध्यक्ष: आप सुदामा जी, आप पूरक पूछिए क्योंकि माननीय मंत्रीजी ने नमी के बारे में बताया है कि जो 17 प्रतिशत् का अभी उस पर सीमा है तो उसको 19 प्रतिशत् करने का भी अनुरोध सरकार की तरफ से किया गया है । आपका पूरक क्या है सो बोलिए ।

श्री सुदामा प्रसाद: मेरा पूरक है मंत्री जी से हम कहेंगे कि यह 19 प्रतिशत् पर है तो यहीं पर किसानों को लूटने के काम का आधार तैयार होता है । नमी की अनिवार्यता खतम करने का सरकार विचार रखती है ?

दूसरी बात कि बटाईदार किसान जो 80 परसेंट खेती बिहार में बटाई पर हो रही है, क्या सरकार उन बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र देने का इरादा रखती है ?

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: सुदामा जी, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है किसानों से जुड़ा हुआ, मुझे बताते हुए खुशी है कि सरकार ने पहली बार जो आपके प्रश्न में भी था कि रैयत किसानों की जो सीमा थी पिछले साल सीमा थी डेढ़ सौ क्विंटल पर, उसको बढ़ाकर दो सौ क्विंटल किया गया है । गैर-रैयत किसानों की भागीदारी बहुत बढ़ी है । मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो संख्या थी उसमें पचास प्रतिशत् के करीब किसानों में गैर-रैयत किसान हैं, 48 परसेंट का डाटा है, दो लाख बयालिस हजार पांच सौ नब्बे किसानों का जो रजिस्ट्रेशन था, उसमें अड़तालिस प्रतिशत् गैर-रैयत किसानों ने भागीदारी निभायी थी और उसी को देखते हुए सरकार ने इस बार उनकी सीमा को बढ़ाकर पचास क्विंटल से पचहत्तर क्विंटल किया है । नमी को लेकर आपकी जो चिंता है तो सरकार भी उसकी चिंता करती है । सभी पैक्सों में ड्रायर लगाने की बात हम ड्रायर बड़ी प्राथमिकता के साथ लगा रहे हैं । भारत सरकार ने भी अपनी सहमति दी है और नमी के मानक को 17 प्रतिशत् से बढ़ाकर 19 प्रतिशत् किया है, हमलोग भारत सरकार के माननीय रामविलास पासवान जी के आभारी हैं और ड्रायर भी लगाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं । दूसरी चिंता मैं आपको बताना चाहता हूं । सरकार

ने पहली बार पैक्सों को मजबूत करने के लिए पर-क्विंटल, चूंकि पैक्स सरकार के एजेंसी के रूप में काम लेती है सरकार पैक्सों से, तो 10/- रूपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव देने की बात की है पैक्सों को, यह पहली बार ऐसा हुआ है । तो सरकार की चिंता में है कि ज्यादा-से-ज्यादा और समर्थन मूल्य भी हमलोगों ने पिछली बार से अस्सी रूपया बढ़ाया है । पिछली बार 1470/- रूपया था, इस बार हमलोगों ने साढ़े पंद्रह सौ किया है और सरकार लगातार इस प्रयास में है लगी है और सरकार जो पहले 600 करोड़ रूपया देती थी धान अधिप्राप्ति के लिए, अभी 9 प्रतिशत् इंट्रेस्ट पर देती थी, उसको घटाकर 7 प्रतिशत् किया है और पैक्सों को कहा है, बैंकों से कहा है, जिला सहकारी बैंकों से और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कि अब 8 प्रतिशत् से ज्यादा पैक्सों से न लें । यह सब प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है कि धान अधिप्राप्ति में गति आए और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस बार सरकार, पिछले तीन वर्षों का डाटा रहा है कि साढ़े आठ लाख से उन्नीस लाख मे0ट0 के बीच हम अधिप्राप्ति करते हैं । इस बार सरकार उस लक्ष्य को दोगुना करना चाहती है और ज्यादा-से-ज्यादा किसानों की धान की अधिप्राप्ति करना चाहती है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज तक विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर कितना मे0ट0 आपको अधिप्राप्ति हुई है और कितना का लक्ष्य अभी तक का निर्धारित था ?

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं रामदेव जी और उनको सुनकर-देखकर हमलोग सीखते आए हैं । मेरा सौभाग्य है कि इनके प्रश्न का जवाब देने का अवसर मिला है । मैंने शुरू में ही कहा था कि अभी नमी को लेकर थोड़ी परेशानी है । जैसे ही नमी अभी तीन जिलों में नालन्दा में 65.4 मे0ट0, खगड़िया में 66.5 मे0ट0, और अररिया में 34.5 मे0ट0 की अधिप्राप्ति हो चुकी है, आज भी अधिप्राप्ति हो रही होगी..

श्री रामदेव राय : लक्ष्य कितना था और आज का लक्ष्य कितना था ?

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: डे-टुडे का लक्ष्य नहीं है, पिछले तीन वर्षों का लक्ष्य आपको बताया है...

श्री रामदेव राय : ऐसा नहीं होता है । आज तक नहीं होता है । सरकार चलाते हैं, प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक तिमाही पर लक्ष्य निर्धारित होता रहा है । धान की नमी एक बहाना है और नमी बता करके आप धान अधिप्राप्ति में जितनी भी धांधली हो रही है तो यह जांच कराने का विषय सरकार के लिए है । आप किसानों को मार रहे हैं, किसानों की चिंता से आप चिंतित नहीं हैं इसलिए हमलोगों की परेशानी बढ़ रही है । आप धान की नमी जो है, नमी को दूर करने के लिए गांव में भी उपाय है । आप गांव में नमी दूर करने का उपाय करवाईए अपने एग्रीकल्चरिस्ट से, अपने वैज्ञानिक से और फिर देखिए धान की अधिप्राप्ति होती है कि नहीं । हमलोग आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं । चलिये, बेगुसराय जिला, चलिए, वहीं से शुरू कीजिए । समस्तीपुर जिला, वहीं से शुरू

कीजिए तो आप देखिए कि क्या होता है, धान की अधिप्राप्ति होती है कि नहीं । यह तो विचौलिए के माध्यम से....

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री: रामदेव राय जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे लेकिन आपको यह बताना चाहेंगे कि सरकार ने नमी की चिंता की है और कोई व्यवस्था चलाने के लिए कुछ-न-कुछ तो एक व्यवस्था होती है और उसी के तहत सरकार का काम होता है । नमी की चिंता को लेकर सरकार गंभीर है । भारत सरकार ने जो नमी के मानक थे 17 प्रतिशत्, उसको बढ़ाकर 19 प्रतिशत् किया है । पैक्सों में ड्रायर लगाने के लिए, 40 पैक्सों में ड्रायर लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो आपकी चिंता है, सरकार उसको समझती है, उसको दूर करेगी ।

श्री रामदेव राय: महोदय, जिन माननीय मंत्री का ये नाम लिए हैं वह तो धान देखे भी नहीं होंगें, राम विलास पासवान जी, उनको धान की चिंता क्यों होगी ...

(व्यवधान)

आप 19 प्रतिशत् करने जा रहे हैं, 22 को 19, तो दो परसेंट की नमी की कैसे पूर्त्ति होगी ? गांव में जो तौलते हैं तराजू से तो उसमें उसक क्या हालत होगी बता दीजिए आप । एक तो आप नमी रख रहे हैं और तौलने में आप बेइमानी भी करेंगे। कौन किसान बर्दाश्त कर सकता है इतना ? राम विलास पासवान जी से पूछिए तो कि देखे हैं ...

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, यह आपत्तिजनक बयान है । महोद,य आप जानते हैं, अलग-अलग विभागों के मंत्री हुआ करते हैं और जो विभाग के मंत्री होते हैं तो वे अपने विभाग की पूरी जानकारी उनको होती है और वे रेस्पौंसिबुल भी होते हैं । तो यह बयान देना, राम विलास पासवान जी देश के बड़े नेता हैं महोदय और भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं ....

(व्यवधान)

बात सुनिए, बात सुनिए रामदेव बाबू । रामदेव बाबू यह नहीं होगा ऐसे। बात सुननी पड़ेगी । आपको, बात को सुनना होगा । मैं आपकी बात सुन रहा था । आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी रामदेव बाबू...

(व्यवधान)

पहले आप मेरी बात सुनिए । बाल बोल चुके हैं । यह आरोप बेवजह है गरीब का बेटा है तो आरोप लगाएंगे आप ....?

(व्यवधान)

ये दलित के बेटा हैं, राम विलास पासवान गरीब का बेटा है, वे जानते नहीं हैं धान क्या है ... (व्यवधान)

महोदय, यह गलत बात है । यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात कहिए ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री: महोदय, यह गलत आरोप है महोदय ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय रामदेव बाबू, बैठ जाइए आप । बैठ जाइए ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री: महोदय, यह बात प्रोसिडिंग्स से बाहर होनी चाहिए । महोदय, यह कहना कि उन्होंने धान नहीं देखा है, यह गलत है महोदय । एक सफल मंत्री के रूप में महोदय, उनकी पहचान रही है । जिस विभाग का उन्होंने काम किया है तो सफल मंत्री के रूप में उनकी पहचान रही है महोदय । जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में अनर्गल आरोप लगा करके इन्होंने गरिमा.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी, आप ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

(व्यवधान)

टर्न–10/कृष्ण/29.11.2017

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । शुरू से वे ऐरिस्टोक्रेट रहे हैं, धान नहीं जानते हैं । इसलिए धान की नमी की उनको जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये न ।

श्री रामदेव राय : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । मेरा प्रश्न यह है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति 30 दिसंबर, 2017 तक पूरा करायेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप का तो खत्म है । आप कहां से आ रहे हैं ?

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी । आप अपने ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री संजीव चौरसिया,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के सात निश्चियों में से प्रमुख "हर घर में नल से जल " कार्य में लगे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के करीब तीस वर्षों से भी अधिक से लगातार दैनिकपुस्त कर्मियों का नियमितिकरण अभी तक नहीं हो पाया है जबकि मंत्री परिषद् से स्वीकृत रिक्त पद 444 बचे हुये हैं और कर्मी 224 ही बचे हैं। ये सभी कर्मी कार्मिक विभाग के "कट ऑफ डेट" 11.12.1990 के पूर्व से कार्यरत हैं । यह विभाग जिस कार्मिक विभाग के पत्रांक-639 दिनांक 20.03.2006 को नियमितिकरण में बाधा समझ रहा है, उस पर कार्मिक विभाग लिख चुका है कि ये कर्मी इस पत्र से आच्छादित नहीं होते हैं ।

अत: 30 वर्षों से लगातार कार्यरत दैनिकपुस्त कर्मियों की सेवा नियमित करते हुए लंबित वेतन भुगतान अविलंब करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : यह स्थगित हुआ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,नेता, प्रतिपक्ष जिस तरह से सदन को बाधित कर रहे हैं और माननीय सदस्यों का जो समय है, शून्यकाल का है, ध्यानाकर्षण का है और हम देख रहे हैं कि कई माननीय सदस्यगण जो ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो प्रश्न लाये हैं, उनको इन्टरेस्ट भी नहीं है । राजद के कई माननीय सदस्य जो है 5-6, जिनका हस्ताक्षर ध्यानाकर्षण पर देख रहा हूं, उनको बिहार की जनता के सवालों से कोई लेना-देना नहीं है । इनका सिर्फ मकसद है सदन में हंगामा खड़ा करना । सदन में अपनी बात को मनवाना चाहते हैं । लेकिन जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, अगर उसके हिसाब से आयेंगे तब तो उनकी बात समझी जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद हंगामा खड़ा करना है महोदय । तो मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाय कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का पूरा-पूरा पालन माननीय सदस्यगण करें ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/राजेश/29.11.17

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017"

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, उद्योग मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी । प्रभारी मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे ?

श्री रामदेव राय: अनुमति हो, तो मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: एकदम । आप चाहेंगे तो अवश्य कर सकते हैं ।

श्री रामदेव राय: महोदय, "वेयर देयर इज विल, देयर इज वे" । चाह तो है, मगर रास्ता तो मिलता नहीं है, मुझे आशा थी कि सरकार बढ़िया से सदन को चला पायेगी लेकिन नहीं चला रहे हैं, जब आप नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखे हैं और मेम्बरान रात भर जागकर संशोधन को तैयार करते हैं और जब हाउस में आते हैं, तो श्रीमान् एक सेकेण्ड में माननीय विजेन्द्र बाबू उसको हवा कर देते हैं, संशोधन समाप्त । चलिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, रामदेव बाबू को कटौती प्रस्ताव का एक्सपर्ट घोषित करना उपर्युक्त होगा ।

श्री रामदेव राय: महोदय, कटौती का एक्सपर्ट नहीं बल्कि हम तो एसेम्बली का एक्सपर्ट भी नहीं हो पाये हैं, 45 वर्षों से संसदीय जीवन का अनुभव हो गया है लेकिन अब नये तरीके से कल से सीख रहा हूँ और फिर नंद किशोर बाबू खड़ा हो जायेंगे, तो फिर यह तो चौपट ही हो जायेगा।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य रामदेव बाबू पहले आप अपना प्रस्ताव को मूव कर दीजिये ।

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

श्री रामदेव राय: मूव कर रहे हैं सर ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन) विधेयक,2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो । "

महोदय, मैं इस प्रस्ताव के अधीन बहुत ही संक्षिप्त में यह बताना चाहूंगा हुजूर कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार 1974 में नियम के तहत स्थापित है और इसके नियंत्रित पदाधिकारी में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं । इसका मुख्य उद्धेश्य है बिहार औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगणों में विकसित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना और इसके लिए इसे चार भागों में बॉटा गया है । हुजूर, वियाडा को चार भागों में बॉटा गया है, मगर वियाडा आज तक अपने काम में बिल्कुल ही अपने उद्धेश्य को पूरा करने में असफल रहा है । बिहार जैसे गरीब एवं पिछड़े राज्य का कृषि ही एक मात्र आधार है और आज हमलोग सारे लोग मिल करके कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए तरह-तरह का प्रस्ताव हमलोग देते रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता ऐसी हमने देखी है, परन्तु आज तक कृषि को आप उद्योग का दर्जा नहीं दे सके, जिसके कारण आज उद्योग अपने क्षेत्र में और विकास में बहुत ही असफल है । कारण यह है, मैं वियाडा पर आता हूँ, वियाडा को आप चार भागों में बॉटे हैं श्रीमान्, ऐसे तो आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं, यह संशोधन 1974 में भी आया है, 1981 में भी आया है, 1991 में भी आया है और आज यह चौथी बार आया है लेकिन इस बार आप इसको बहुत ही सशक्त किये हैं, इसको मजबूत बनाने की दिशा में, कार्य क्षेत्र में विस्तारित किये हैं, इसके पावर में विस्तारित किये हैं, इसके संगठन में विस्तारित करना चाहे हैं लेकिन आप यह कहीं नहीं बताये कि आपको इससे उपलब्धि कितनी हुई, यह अपने लक्ष्य को कहॉ तक पूर्ति कर पाया है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमलोग टाई-टाई-फिस रह गये हैं, यह चिंता का विषय है श्रीमान्, मैं केवल एक ऑकड़ा से आपको बताना चाहेंगे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे बैठाने का काम करेंगे, मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि आज वियाडा में 1170 यूनिट दिखाई गयी

है पूरे, पर श्रीमान् वर्किंग यूनिट इनके पास 681 ही हैं । महोदय, मैं अभी केवल पटना की ही बात कह रहा हूँ, अंडर कन्सट्रक्शन 185 कितने दिनों से है, यह किसी को पता नहीं, अंडर कन्सट्रक्शन ये दिखाते हैं, कई वर्षों से दिखाते हैं कि अंडर कन्सट्रक्शन है और स्टार्ट नहीं हुआ है, यह भी बताते हैं, क्लोज 273 है और एक्झिसटिंग बताते हैं 1170, महोदय पिछले दो वर्षों का रिर्पोट आप देखे, उसमें आप बताये हुए हैं, अब आप बताइये, अब आप देखिये भैकेट लैंड हमारे पास 163 प्लौट है, लैंड एकड़ 59.64, इसका उपयोग आप कहाँ किये, यह क्यों पड़ा हुआ है, इस भूमि के लिए आपने कौन सा उपाय किया और आगे जब बतायेंगे, तो माननीय मंत्री जय कुमार सिंह जी को स्पष्ट हो जायेगी और उन्हें समझ में बात आयेगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ? भागलपुर की स्थिति यह है कि 279 वर्किंग यूनिट है हमारे पास में, अंडर कन्सट्रक्शन 71 है और कैंसिल 27 है, फिर भी ये एक्जिस्टिंग 374 दिखाये हैं, तो यहाँ भी भैकेट लैंड है 28 एकड़, उसीतरह से दरभंगा की भी यही स्थिति है, वहाँ 375 यूनिटें हैं, 285 वर्किंग हैंड हैं, उसीतरह से मुजफ्फरपुर में 520 है और 58 एकड़ जमीन भैकेट है, इस प्रकार एक्जिस्टिंग लैंड 2439 है और मात्र वर्किंग 1612 है, तो इसतरह से अभी तक 827 यूनिट का पता नहीं है कि क्या स्थिति है, अब आप बताइये कि वियाडा जिसको इतना इम्पौरटेंट बिहार सरकार ने दिया है, जो भी सरकारें आयी हैं बिहार में, वियाडा को इम्पौरटेंट दिये हैं लेकिन वियाडा का काम बिल्कुल ही पीछे रहा है, जिसके कारण औद्योगिक मानचित्र पर बिहार पिछड़ रहा है, कुल मिलाकर हुजूर भैकेंट लैंड 176 एकड़ हमारे पास में है और इसमें इसलिए पावर बढ़ाये हैं कि भैकेट लैंड पर इनका कब्जा हो जाय, आनन-फानन में भैकेट लैंड को किसी को लीज पर दे देंगे, पट्टा पर दे देंगे, तो इसका मिसयूज होगा, इतना पावर इसमें दिये हैं, तो इसमें अधिक संभावना है कि मिसयूज होगा लेकिन जो आपको रकम दिया गया है, आगे और आप देखेंगे सर, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आप देखिये सर, 2016-17 में मात्र 34 इकाईयाँ ही ये आवंटित कर पाये हैं, आज तक मात्र 34 इकाईयाँ ही स्वीकृत हो पायी हैं, 2016-17 में 647 लाख रुपये का काम किया गया है और 2018 में ये दिये हैं 413.31 लाख का काम होना है, अब बोलिये सर 2018 समाप्त होने जा रहा है, कार्य का कहीं भी प्रगति हम नहीं देखे हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, भागलपुर कहीं नहीं हमें देखने को मिला है, हो सकता है सरकार के ऑकड़ा में हो, यह मैं नहीं कह सकता हूँ यानि यह वर्ष अब समाप्त हो रहा है, उत्पादन का लक्ष्य नहीं है, उत्पादन हो नहीं रहा है या उत्पादन हो भी रहा है, तो उसके लिए मार्केट नहीं है । महोदय, वियाडा यह करता है कि जो इन्डस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, उनको ये रुग्न कर देते हैं, उसको बंद करा देते हैं और वह कितना करोड़ रुपया लोन ले करके, मेहनत करके इन्डस्ट्रीज चलाया और उसे बंद कराने का नोटिस ये करा देते हैं, तो इस तरह से जो भी उसका

लक्ष्य है, वह पूरा नहीं कर पायेगा । उसको चलाने का कोई इंतजान इन्होंने नहीं दिखाया है, संशोधन में इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि हम रुग्न इकाई को चलाने के लिए क्या करेंगे नम्बर एक, हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे नम्बर दो, हम यूनिट को चलाने के लिए क्या करेंगे नम्बर तीन, बंद किन कारणों से हैं नम्बर चार, यह बताने का कहीं भी इन्होंने काम नहीं किया है, इसमें कोई प्रावधान ये नहीं किये हैं, इसलिए हमें चिंता है कि ये बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को जब इतना अधिकार दे रहे हैं ताकि वह इसका दुरुपयोग कर सके, अगर आप दुरुपयोग से इसे बचाना चाहते हैं, अब देखिये मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पर होता है, फिर भी पद का उसमें सृजन आप कर रहे है, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, आप कीजिये लेकिन आपको इस सदन को बताना चाहिए कि आप जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं, उसका परपस आप पूरा कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे, अगर नहीं करते हैं, तो इसको लाना बिल्कुल ही निरर्थक होगा और यह बिहार को धोखा देने जैसा होगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार इसपर भी विचार करें, आगे भी निवेदन करता हूँ आसन से कि जो हमलोगों का संशोधन है,उसको भी सरकार गौर से सुनें, समझें और क्रियान्वित करें, हमलोग मेहनत करके संशोधन संशोधन देते हैं, हम सरकार को नहीं देते हैं बल्कि बिहारवासियों के लिए देते हैं ।

क्रमशः

टर्न-12/सत्येन्द्र/29-11-17

श्री रामदेव राय(क्रमशः): बिहार के लोग कृषि के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ताकि उसमें बिहार के लोगों का कल्याण हो और इनका यश तो इन्हीं का होगा, इन्हीं का सम्मान बढ़ेगा लेकिन सरकार यह नहीं चाहती है और जो हमलोग संशोधन देते हैं वह एक मिनट खारीज कर देते हैं लेकिन आज हमलोग तैयार होकर आये हैं खारीज नहीं होने देंगे ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव रायः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

> ''बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

मैं यह इन्हीं की सरकार की सुविधा के लिए ही दिया हूँ, ये अपने लिये नहीं दिया हूँ कि हमारा नाम कोई रेकर्ड में छप जाय। मैं इसलिए दिया हूँ कि यदि आप इस पर चिन्ता न करते हो, विचार नहीं कर पाते हैं ससमय तो आप इसको जनमत जानने के लिए परिचारित कर दीजिये। जनता क्या कहती है, क्या बियाडा को इतना अधिकार दे रहे

हैं वह सही है या नहीं ताकि आपको इससे सहयोग मिल सके इसीलिए मैं यह प्रस्ताव दिया हूॅ । मैं समझता हूॅ जरूर सरकार इस पर विचार करेगी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

'' बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे । ''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए लाया है कि क्योंकि इस संशोधन विधेयक में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो व्यवसायी को प्राधिकार क्षेत्र से पलायन करने के लिए विवश करेंगे और इन प्रावधानों को देखने के बाद कोई नया व्यवसायी यहां कदम भी नहीं रखेगा। इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य को देखेंगे तो आप पायेंगे कि इसमें प्राधिकार को असीमित शक्तियां दी जा रही है और आवंटियों को उनकी कृपा पर छोड़ दिया गया है। इस संशोधन विधेयक पर दोनों सदन के सदस्यों के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श हो सके इसे संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय । अध्यक्ष महोदय, सही मायने में इसको लागू करने से पहले यह आवश्यक है आपका संरक्षण हमें चाहिए और सदन को चूंकि ये जनता के बीच जो मैसेज जायेगा, बहुत गलत मैसेज जायेगा । आजतक जो था उसके आधार पर एक साथ एक झटके में सरकार कोई नियम बनती है और 2000 से 5000 हजार करोड़ रू0 यहां के व्यवसायियों को जो व्यापार कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है । कम से कम इस चीज को देखने के लिए एक, अपने बिल्डिंग में एक होल्डिंग लगा लेगा तो उसके लिए भी निगम से चिट्ठी जायेगी, प्राधिकार से चिट्ठी जायेगी और वह कटघरे में चला जायेगा इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें कहीं न कहीं आप चाहें तो इसको प्रवर समिति में भेज दें।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि –

'' बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री फैयाज अहमद द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री कुमार सर्वजीतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

महोदय, प्रस्ताव इसलिए दिया हूॅ कि यह जल्दी में लाया गया संशोधन है और संशोधन संशोधन लगातार हमलोग जो हैं सदन के अन्दर देखते रहते हैं और जो संशोधन विधेयक के प्राधिकार को हमलोग शक्तियां दे रहे हैं, एक तो यहां बिहार में उद्योग लगाने की इतनी जटिल प्रक्रिया है और सरकार की नीति उनके सिद्धांत ऐसा है कि पूरे हिन्दुस्तान में एक बिहार ऐसा राज्य हैं जहां पर एक भी इंडस्ट्रीज आजतक नहीं लग सकी और यहां के लोग जो गरीब का बेटा वाहर से पढ़कर आता हैं और उसके चलते उनको एक रोजगार हमारे यहां बिहार में नहीं मिल पाता है और साथ-साथ लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी को शक्ति हम ज्यादा देते हैं और यह निश्चित तौर से घोटालों की सरकार के नाम से जानी जाती है । अगर हम ब्यूरोक्रेसी को इतनी शक्ति नहीं दिये होते तो शायद इस लोकतंत्र की मंदिर की गरिमा आज निश्चित तौर पर बचता । यहां इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है और आपने कहा है कि हम 10 हजार जुर्माना से बढ़ाकर के 5 हजार रू0 जुर्माना लेंगे, पांच लाख रू0 जुर्माना लेंगे । मैं ये कहना चाहता हूॅ कि आप अपनी नीति और नियत को ऐसा बनाईए कि देश से कोई न कोई उद्योगपति हमारे के यहां उद्योग लगाये और ताकि यहां से जो बेरोजगार बच्चे हैं कम से कम उसकी नौकरी जो है मिल सके। आप जटिल से जटिल समस्या उत्पन्न करते हैं बिहार में कोई उद्योग लगाने के लिए आना नहीं चाहता है तो हम आग्रह करेंगे कि ये जो समस्या है बियाडा का जितना जमीन है जो आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाते हैं उसको बैंक से लोन लेने तक में इतनी समस्या है कि कोई चाहता नहीं है उस पर हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि उसकी जो जटिल समस्या है पहले उस पर ध्यान देना चाहिए और साथ-साथ ये जो हैं हमारा प्राधिकार को जुर्माना का अधिकार दिया जा रहा है लेकिन औद्योगिक विकास के संरचनाओं का निर्माण कार्य करना है उस संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं की गयी इसलिए इस पर विचार किया जाना आवश्यक है चूंकि दोनों सदन में संशोधन विधेयक को पारित होना इसलिए प्रवर समिति में भेजने का हम आग्रह करते हैं।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'' बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि -

'' बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन)विधेयक, 2017 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टर्न-13/मधुप/29.11.2017

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि -

''खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : खण्ड-4 में 2 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-4 के उप खंड-4क के मद (i) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''वैसे सभी भूमि छोड़कर जो किसानों के लिए उपयोगी हो यदि वह भूमि अंतरित भूमि के अन्तर्गत है तो वैसे किसानों से पुनः आपत्ति लेने का प्रावधान

आवश्यक होगा ।''

हुजूर, इसमें है (1) औद्योगिक क्षेत्र में कतिपय एक या एक से अधिक निम्नलिखित भूमि अंतर्विष्ट होंगी :-

(i) राज्य सरकार द्वारा अर्जित तथा इस अधिनियम की धारा-9 के अधीन प्राधिकार को अंतरित सभी भूमि ।

इसमें मैंने इस उद्देश्य से संशोधन दिया है, जो मैंने सिद्धांत पर विमर्श के समय कहा था कि यह जो प्रोत्साहन नीति सरकार की बनी थी, प्रोत्साहन नीति के अन्दर यह था कि जो भूमि किसान से आप लेंगे, लीज पर लें, पट्टा पर लें या अधिग्रहण कर लेंगे, उसमें उसको बनाना था खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन का काम होना था, लघु मशीन के निर्माण के लिये, आई0टी0आई0, आई0टी0ई0एस0, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर का निर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक, रबर, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, चमड़ा और अन्य प्रकार की तकनीकी शिक्षा, जो कुछ नहीं हो सका । वैसी जमीन अगर पड़ी रह गई है तो किसान से पुनः आपत्ति लेकर ही उसको आप आगे बढ़ाइये । मेरा यही कहना है । वैसी जमीन जब पड़ी हुई है, उस जमीन का आप कहीं उपयोग कर नहीं पाये हैं, यह सब कार्य उस जमीन पर नहीं कर सके हैं तो वैसे किसानों से आपको आपत्ति लेने के लिये मैंने यह दिया है कि उससे पुनः आपत्ति ली जाय । इसलिये मैंने यह संशोधन लाया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-4 के उप खंड-4क के मद (i) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''वैसे सभी भूमि छोड़कर जो किसानों के लिए उपयोगी हो यदि वह भूमि अंतरित भूमि के अन्तर्गत है तो वैसे किसानों से पुनः आपत्ति लेने का प्रावधान आवश्यक होगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, आप अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-4 के उप खंड-4क के मद (ii) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''लीज या लगान पर ली गई भूमि वैसी हो जिसपर किसानों की कोई आपत्ति पहले से भी या बाद में भी न हो इसके लिए प्राधिकार को सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करनी पड़ेगी अन्यथा कमजोर किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकती जो अपनी भूमि बचाने में असमर्थ रहे हों ।''

इसमें करीब-करीब पहले वाले संशोधन से मिलता-जुलता तो है लेकिन इसमें हमारा कहने का अर्थ दूसरा है । हम इसमें इसलिये प्रस्ताव के अंत में जोड़ने के लिये कहे हैं कि लीज या लगान पर ली गई भूमि वैसी हो जिसपर किसानों को कोई पहले से आपत्ति रही हो और बाद में भी रही हो लेकिन प्राधिकार उसकी आपत्ति को नजरअंदाज करते हुये इसे अपने अन्दर ले लिया है । ऐसे कमजोर किसानों की इससे रक्षा नहीं हो पायेगी । इसलिये उनकी रक्षा करने के लिये, जो अपनी भूमि बचाने में असमर्थ हैं, उनसे आपत्ति ग्रहण कर लें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 के उप खंड-4क के मद (ii) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''लीज या लगान पर ली गई भूमि वैसी हो जिसपर किसानों की कोई आपत्ति पहले से भी या बाद में भी न हो इसके लिए प्राधिकार को सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करनी पड़ेगी अन्यथा कमजोर किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकती जो अपनी भूमि बचाने में असमर्थ रहे हों ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-5 में 15 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन के द्वितीय पंक्ति के शब्द ''भुगतान'' एवं शब्द ''ससमय'' के बीच शब्द समूह ''सड़क, बिजली, सफाई, सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि आप बकाया लगान प्रभार सब लेंगे लेकिन आवंटी को जो मूलभूत सुविधाएं दी जानी है,उनके बारे में कुछ नहीं कहते । प्राधिकार के लिये जिम्मेवारी निर्धारित की जानी चाहिये कि आप सब शुल्क लीजिये लेकिन शुल्क लेने से पहले निश्चित रूप से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर दीजिये ।

इसलिये यह प्रस्ताव मैंने दिया है कि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही किसी तरह का शुल्क लिया जाय । चूंकि अभी की परिस्थिति में जहाँ कहीं भी चले जायेंगे, आज अगर इस रूप में देखा कि कोई भी जगह जाने पर, जो आधा-अधूरा हमारा इडस्ट्रीयल एरिया है, आज भी कहीं न कहीं इन चीजों से वंचित है। इसलिये आवश्यकता है कि शुल्क लेने के पहले इन चीजों को किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन के द्वितीय पंक्ति के शब्द ''भुगतान'' एवं शब्द ''ससमय'' के बीच शब्द समूह ''सड़क, बिजली, सफाई, सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''हो'' एवं शब्द ''अंत:स्थापित'' के बीच निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

''आवंटी से बकाये एवं लगान का भुगतान ससमय नहीं होने पर उन्हें कम से कम तीन नोटिस एक सप्ताह के अंतराल पर देना आवश्यक होगा ।''

अन्यथा उसमें इतना पावर भेस्ट किये हैं कि वह आवंटी तो रहते हुये भी मर जायेगा । इसलिये उसको सुरक्षा देने के ख्याल से, उसको पर्याप्त अवसर देने के ख्याल से कम से कम तीन बार नोटिस उसको दीजिये, तब कोई उसपर कार्रवाई हो । यही मेरा कहना है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''हो'' एवं शब्द ''अंतस्थापित'' के बीच निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

''आवंटी के बकाये एवं लगान का भुगतान ससमय नहीं होने पर उन्हें कम से कम तीन नोटिस एक सप्ताह के अंतराल पर देना आवश्यक होगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2(ग) के छठी पंक्ति के अंक एवं शब्द ''3(तीन)'' को अंक एवं शब्द ''5(पाँच)'' से प्रतिस्थापित किया जाय।''

इनके प्रस्ताव में है कि जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित थी, उस प्रयोजन के लिये कब्जा प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अवधि के बाद भी नहीं किया है तो उपयोग न लाए गए भाग को, किसी उद्योग को जगह देने के लिए रद्द कर दिया जाएगा ।

मैं इसमें संशोधन इसलिये दिया हूँ क्योंकि जो इतना मेहनत करके, खर्च करके वहाँ काम शुरू किये हैं और किसी कारण से काम में शिथिलता आ गई है, उसको तीन वर्ष के बदले आप पाँच वर्ष का समय दीजिये । पाँच वर्ष तक अगर वह कुछ नहीं कर पाये हों तो सरकार द्वारा जो अधिसूचित नियम होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाय । मैं यही कह रहा हूँ कि उसको पाँच वर्ष का समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2(ग) के छठी पंक्ति के अंक एवं शब्द ''3(तीन)'' को अंक एवं शब्द ''5(पॉच)'' से प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-14/आजाद/29.11.2017

अध्यक्ष : पुनः माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव करूँगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (ग) के छठी पंक्ति के शब्द ''अवधि'' एवं शब्द समूह ''के बाद'' के बीच शब्द समूह ''जो प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अधियाचना की गई हो'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

प्राधिकार में जो शक्ति है, उसको दुरूपयोग करने से बचाने के लिए दिया हूँ। इसमें है कि कोई भी व्यक्ति, जो प्राधिकार के सड़कों, घरों, गलियों, विकास क्षेत्र एवं संपत्तियों पर अतिक्रमण करता हो या रद्द प्लॉट अथवा प्लॉट के भाग पर कब्जा जारी रखता है या बैठता है, अतिक्रमणकारी माना जाएगा और प्राधिकार इस अधिनियम के निर्बधनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

तो मैं इसपर कह रहा हूँ कि आप इसपर स्पष्टीकरण भी ले लीजिए और सरकार से इसकी अनुमति भी आप ले लीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (ग) के छठी पंक्ति के शब्द ''अवधि'' एवं शब्द समूह ''के बाद'' के बीच शब्द समूह ''जो प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अधियाचना की गई हो'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला संशोधन, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, इसमें भी मैं एक सिम्पुल चीज लिखा हूँ :-

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (ग) के छठी पंक्ति के सातवीं पंक्ति के शब्द ''जाएगा'' एवं शब्द ''प्लाट'' के बीच शब्द समूह ''प्रस्तावित उद्योग लगाने की स्वीकृत सूची में प्राथमिकता के आधार पर अंकित हो'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

मैं यह कह रहा हूँ, ये जिस उद्योग को रूग्ण बताकर वंचित कर देंगे और किसी दूसरे उद्योग के लिए जमीन आवंटन देंगे । इसलिए हमने कहा है कि यह मनमानापन का द्योतक है । जब मन होगा किसी को रूग्ण बता देंगे और किसी दूसरे को प्लॉट आवंटन कर देंगे । इसलिए मैंने कहा है कि जो स्वीकृत सूची में कौन उद्योग लगायेगा, जो प्रायरिटी की सूची बनेगी प्राधिकार की जरिए, उस सूची में से ही किसी को उद्योग लगाने के लिए वैसी परिस्थिति में देंगे, यही मेरा संशोधन है ।

महोदय, इसको सरकार को मानने में क्या दिक्कत है, यह तो उन्हीं के हक की बात है । मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (ग) के छठी पंक्ति के सातवीं पंक्ति के शब्द ''जाएगा'' एवं शब्द ''प्लाट'' के बीच शब्द समूह ''प्रस्तावित उद्योग लगाने की स्वीकृत सूची में प्राथमिकता के आधार पर अंकित हो'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : पुन: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : हुजूर, मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''कि विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (ग) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-
''लेकिन अधिगृहित करने से पूर्व आवंटी या पट्टाधारी को पर्याप्त अवसर देना होगा कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर क्यों नहीं उपयोग किये हैं । ''

किस कारण से उपयोग नहीं किये हैं, कारण यह है । उनके पास लोन है और आपके पास मार्केट नहीं है । लोन से वे उद्योग खड़ा किये हैं और आपके पास मार्केट भी नहीं है । जिसके कारण उनका निश्चित रूप से इकाई बन्द हो जायेगी । तो इस परिस्थिति को टालने के लिए मैं कहा हूँ कि आप उनको यह बताईए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आप क्यों नहीं उस इकाई को शुरू किये हैं, यही मैं कहा हूँ ताकि वे अपना स्पष्टीकरण दे सके, उनको हक मिल सके और उनको न्याय मिल सके ।

हुजूर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं । हुजूर, उद्योग लगाने के लिए यह सरकार कुछ नहीं सोच रही है । एक तो रूग्ण बिहार है और उद्योग के विस्तार से बिहार का विकास होगा । फिर भी इसमें सरकार मौन है, गौण है ।

अध्यक्ष : आपकी बात सरकार सुन रही है । उसमें आवश्यक बातों पर सरकार जरूर विचार करेगी ।

प्रश्न यह है कि -

''कि विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (ग) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

''लेकिन अधिगृहित करने से पूर्व आवंटी या पट्टाधारी को पर्याप्त अवसर देना होगा कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर क्यों नहीं उपयोग किये हैं । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : पुनः माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, सब अस्वीकृत ही करते हैं तो क्या फायदा है ?

अध्यक्ष : इतना बोलकर भी मूव ही करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (घ) में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''करेगा'' एवं शब्द ''प्राधिकार'' के बीच निम्न शब्द समूह अंत:स्थापित किया जाय :-

''अधिभोग प्रमाण पत्र तीस दिनों के भीतर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही प्राधिकार की होगी ।''

महोदय, इसमें भी है कि जो अभियोग पत्र उससे मांगते हैं इन्डस्ट्रीज से, अगर उनको 30 दिनों के अन्दर नहीं मिलते हैं तो सारी जवाबदेही प्राधिकार की होगी, यह तो सरकार के पक्ष में है, सरकार को इससे लाभ है । इसको भी सरकार नहीं मानेगी तो कैसे काम चलेगा, नहीं तो सर, हम वोट करा देंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (घ) में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''करेगा'' एवं शब्द ''प्राधिकार'' के बीच निम्न शब्द समूह अंत:स्थापित किया जाय :-

''अधिभोग प्रमाण पत्र तीस दिनों के भीतर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही प्राधिकार की होगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : पुनः माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, सरकार जब बिहार विधान मंडल प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली को स्वयं उल्लंघन कर रही है तो इस दु:ख से दु:खी होकर मैं विधेयक के मूल पाठ में संशोधन के क्रमांक-10 को मूव नहीं करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : चलिए, क्रमांक-10 मूव नहीं हुआ ।

पुनः माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अगला संशोधन ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, कुछ नहीं है । अंधेर नगरी, चौपट राजा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (घ) मे प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

''जिसपर राज्य सरकार का मुहर आवश्यक हो । ''

सरकार का मुहर लगावाने के लिए कहा हूँ, इसपर सरकार की मुहर लग जायेगी । विपक्ष तो आपका अंग होता है न ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-4 के मद 2 (घ) मे प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

''जिसपर राज्य सरकार का मुहर आवश्यक हो । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : पुन: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अगला संशोधन आप मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय : मूव करूँगा सर ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-6 के मद 4 (क) के अन्त में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''शक्ति के दुरूपयोग से बचाने के लिए ऐसे अतिक्रमणें को हटाने का प्रस्ताव कम से कम दो तिहाई बहुमत से प्राधिकार से प्राप्त हुआ हो ।''

महोदय, आपने बहुत बड़ा पावर दिया है, जिला मजिस्ट्रेट का पावर आप दे दिये हैं, बिल्कुल ठीक है । अतिक्रमण हटाया जाय, यह भी ठीक है । लेकिन हुजूर, कम से कम दो तिहाई बहुमत से प्राधिकार से प्रस्ताव पारित हो निश्चित रूप से, नहीं तो मनमाने ढंग से आपके मैनेजिंग डायरेक्टर या जिसमें आपने पावर भी दिया है कि आप अपना पावर किसी में भेस्ट कर दो तो पावर वह जिसको भेस्ट करेगा, वह किसी को भी अतिक्रमण का नोटिश कर देगा चन्दा उगाही के लिए तो आप बिहार का विकास कीजियेगा या चन्दा उगाही का काम करवाईयेगा, यह पहले आप क्लीयर कर लीजिए । चन्दा उगाही का काम करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दो तिहाई बहुमत प्राधिकार से प्रस्ताव पारित करे और आप अतिक्रमण हटा दीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-6 के मद 4 (क) के अन्त में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''शक्ति के दुरूपयोग से बचाने के लिए ऐसे अतिक्रमणें को हटाने का प्रस्ताव कम से कम दो तिहाई बहुमत से प्राधिकार से प्राप्त हुआ हो ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : एक बार फिर से माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : सर, छोड़ देते हैं । विधेयक के मूल पाठ में संशोधन के क्रमांक-13 को पुट नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : फिर से माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अगला संशोधन ।

श्री रामदेव राय : जी, सर ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-6 के मद 4 (ख) के बाद एक नया मद 4 (ग) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

4 (ग) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सफाई आदि देय सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही कोई कर/किराया लेगा ।''

यह कौन सा गलत बात कहा । सदन के सामने भी बात रखता हूँ, अगर जिसके निमित्त जो इन्डस्ट्रीज लगवाते हें या कार्य कर रहे हैं, वह कार्य पूरा नहीं होगा तो उससे कर कैसे लीजियेगा, यह तो विचारणीय प्रश्न है सर । महोदय, आप सरकार पर दबाव डालिए आसन के जरिए कि सरकार इसको माने । नहीं तो सर, हम वोट करायेंगे।

अध्यक्ष : वोट के लिए तो हम रख ही रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि :-

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-6 के मद 4 (ख) के बाद एक नया मद 4 (ग) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

4 (ग) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सफाई आदि देय सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही कोई कर/किराया लेगा ।''

श्री रामदेव राय : महोदय, हॉ के पक्ष में बहुमत है । महोदय, हम सदन को बताना चाहते हैं कि यह सरकार बिहार के विकास के लिए बिल्कुल शून्य है, जीरो है ।

अध्यक्ष : लेकिन आपने फैसला कैसे दे दिया ? अब आप बैठिये ।

प्रश्न यह है कि :-

''विधेयक के खंड-5 के उप खंड-6 के मद 4 (ख) के बाद एक नया मद 4 (ग) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

4 (ग) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सफाई आदि देय सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही कोई कर/किराया लेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-15/अंजनी/दि0 29.11.2017

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, क्या आप अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं मूव करूँगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"विधेयक के खंड-5 के उप खंड-7 के मद

(9) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

"जिसमें सांसद एवं विधान मंडल का समुचित प्रतिनिधित्व हो ।"

महोदय, मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहां जो कमिटी बनेगी, उसमें सांसद और विधान मंडल के सदस्यों को जरूर रखा जाय । यह कौन-सी मैंने गलती की है ? अब इसको भी सदन एसेप्ट नहीं करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार विधान सभा में । जन-प्रतिनिधियों को अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको स्वयं मार्गदर्शन नहीं मिल सकेगा, सहयोग नहीं मिल सकेगा । सरकार कॉडिनेशन और सहयोग से चलती है । इसलिए आप इस पर विचार कीजिए और ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे सत्ता दल के लोग विधान मंडल सदस्यों के प्रति गैरजिम्मेवार हैं, लापरवाह हैं, निकम्मा हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

विधेयक के खंड-5 के उप खंड 7 के मद

(9) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

"जिसमें सांसद एवं विधान मंडल का समुचित प्रतिनिधित्व हो ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन छूट गया है ।

अध्यक्ष : ये तो सब उसी के साथ था न । यह तो एक ही नेचर का था । इसलिए रामदेव जी के साथ एक्झौस्ट हो गया ।

श्रीसमीर कुमार महासेठ : नहीं सर ।

अध्यक्ष : चार गो जोड़नेवाला ? औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सफाई आदि देय सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के बाद ही कोई कर/किराया लेगा । यह तो अभी उनके साथ ही एक ही नेचर का था, इसलिए उसके साथ एक्झौस्ट हो गया । माननीय सदस्य रामदेव बाबू, अगले संशोधन के बारे में क्या विचार है ?

श्री रामदेव राय : महोदय, जो आपका आदेश हो । अब मैं क्रमांक-18 पर कहना चाहता हूँ । क्रमांक-16 एवं 17 में जो संशोधन है, उसको मूभ नहीं करूँगा ।

अध्यक्ष : संशोधन का क्रमांक-16 एवं 17 माननीय सदस्य द्वारा मूव नहीं किया गया ।

प्रश्न यह है कि -

"खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-6 में दो संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं मूव करता हूँ, यह आवश्यक है ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

" विधेयक के खंड-6 के उप खंड (3) में

प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"लेखाओं का संचालन वैसे पदाधिकारी द्वारा किया जाय जो सी0ए0 से अन्यून न हो तथा विशेष अनुभव प्राप्त हो ।"

ये सीधे लिखे हैं कि ऐसे लेखाओं का संचालन प्राधिकार के ऐसे पदाधिकरियों द्वारा किया जायेगा, जो इस निमित इसके द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाय, तो ये प्राधिकृत किसी को कर सकते हैं । इतना बड़ा प्राधिकार है, जिसके संगठन को इतना बड़ा पावर दे रहे हैं तो उसके संचालन का काम किसी को दे दीजियेगा, यह कैसे संभव है ? बड़ा बाबू को दे दीजियेगा, छोटा बाबू को दे दीजियेगा, रूटिन कल्र्क को दे दीजियेगा, यह तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है । इसलिए इस बात को मैंने और क्लियर कराने के लिए लिखा है कि जो सी0ए0 से अन्यून न हो, उससे कम न हो, वैसे आदमी से इसका संचालन कराया जाय ।

मेरा जो कहना है, उसमें यह उन्हीं के हक में है । जितना भी वित्तीय लेखा हो, मेरा परपस यही है कि जो एकाउंट का काम हो, वह काम सी0ए0 से करायें । हर वर्ष के अंत में, हर रेवेन्यू ईयर के अंत में, फाईनेंसियल ईयर के बाद तीन माह के अन्दर औडिट करा दीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

विधेयक के खंड-6 के उप खंड (3) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"लेखाओं का संचालन वैसे पदाधिकारी द्वारा किया जाय जो सी0ए0 से अन्यून न हो तथा विशेष अनुभव प्राप्त हो ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, यह महत्वपूर्ण संशोधन है, मैं मूव करूँगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"विधेयक के खंड-6 के उप खंड-(5) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"लेकिन यह रकम एक समय में 5000 से अधिक न हो तथा इस खर्च को प्राधिकार की बैठक में संपुष्टि के बाद ही दूसरा किस्त निकाला जा सकता है जिसके लिए प्राधिकार को Exesution Committee बनाकर सहमति लेना आवश्यक होगा ।"

इसमें बिल्कुल क्लियर है । उपर्युक्त उपधारा 2 या 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकार ऐसी रकम, जिसे अपने दिन प्रतिदिन के लिए संव्यवहार उचित समझे यथा विहित सीमाओं एवं शर्त्तों के अधीन रहते हुए अपने हाथ में रख सकेगा । तो मैं क्या कहा हूँ, मैं इन्हीं को फिर हेल्प कर रहा हूँ । सरकार विपक्ष से सहायता लेना नहीं चाहती है, सहयोग नहीं लेना चाहती है । मेरा कहना है कि इसके लिए वह 5,000 से ज्यादे रूपये एट-ए-टाईम अपने हाथ में नहीं रखें, यह प्रावधान आप कर दीजिए, नहीं तो 50,000 रूपया निकाल लेगा और उसका लेखा-जोखा वह रखेगा नहीं । यह रूपया तो आप उनको रूटिन वर्क के लिए दे रहे हैं, इसलिए वह उतना रूपया रूटिन वर्क के लिए खर्च करे । इसलिए आप इसको एक सीमा के अन्दर बांध दीजिए, यही मेरा परपस है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

विधेयक के खंड-6 के उप खंड-(5) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"लेकिन यह रकम एक समय में 5000 से अधिक न हो तथा इस खर्च को प्राधिकार की बैठक में संपुष्टि के बाद ही दूसरा किस्त निकाला जा सकता है जिसके लिए प्राधिकार को Exesution Committee बनाकर सहमति लेना आवश्यक होगा ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-16/शंभु/29.11.17

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-7 में तीन संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राम, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : देखिए सर। ये सरकार स्वयं नहीं चाहती है । इसलिए नहीं मूव करता हूँ । स्वयं अपने पक्ष में कुछ नहीं चाहती है।

(क्रमांक- 20 मूव नहीं हुआ)

अध्यक्ष : ठीक है। फिर अगला में भी वही विचार आपका है ?

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-7 के उप खंड-(1ख) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''हर परिस्थिति में अंकेक्षण आवश्यक होगा जो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 60 दिनों के भीतर होगा तथा अंकेक्षण मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जायेगा।''

विचार तो वही है, लेकिन मैं एक साधारण बात कह रहा हूँ कि हर परिस्थिति में अंकेक्षण को मैं आवश्यक बतलाया हूँ और अंकेक्षण रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर आना चाहिए यह भी बतलाया हूँ। इसमें क्या आपत्ति सरकार को है ? आसन से सदन को सहयोग नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष : तो माना जाय कि आपने मूव नहीं किया ?

श्री रामदेव राय : मूव तो कर दिया, जैसे ही बोलने के लिए खड़ा हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-7 के उप खंड-(1ख) में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''हर परिस्थिति में अंकेक्षण आवश्यक होगा जो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 60 दिनों के भीतर होगा तथा अंकेक्षण मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जायेगा।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : एक बार फिर रामदेव राय जी। अगला संशोधन।

श्री रामदेव राय : हुजूर, हमारे सदन के माननीय सदस्य स्वयं अपनी अहमियत नहीं समझते हैं इसलिए उसके विरोध में मैं यह संशोधन नहीं रख रहा हूँ।

(क्रमांक- 22 मूव नहीं हुआ)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-8 में कोई संशोधन नहीं है। हमलोग रामदेव बाबू को धन्यवाद देना चाहते हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-9 में एक संशोधन है। इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय जी द्वारा संशोधन दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-9 में प्रस्तावित संशोधन को विलोपित किया जाय।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से 10 हजार के जुर्माना को बढ़ाकर संजय जी 5 लाख रूपया कर दिया जायेगा और प्रत्येक दिन 100 रूपये के बदले 5 हजार रूपया किया जायेगा। ऐसी बढ़ोत्तरी दुनिया में शायद ही कहीं होगी कि 10 हजार को 5 लाख और 100 को 5 हजार कर दिया जाय। ऐसी बढ़ोत्तरी का कोई औचित्य नहीं है और लगता है कि इसकी कोई समीक्षा नहीं की गयी है। इसलिए मैंने यह संशोधन लाया है कि इस प्रस्तावित प्रावधान को विलोपित किया जाय और दर्शनीय जो कानून बन रहा है उसके साक्षी हैं हमलोग- जब एक दिन रोयेंगे तब पता चलेगा कि ये कौन सा कानून बनने जा रहा है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-9 में प्रस्तावित संशोधन को विलोपित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-9 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-10 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अंत भला तो सब भला बीच में बिगड़ा सो सब ठीक हुआ। मंत्री जी, इधर ध्यान दीजिए, अंत सुधार लीजिएगा तो बाबा जी कहलाइयेगा। मैं क्या कह रहा हूँ सो केवल सुन लीजिए, हाऊस भी सुने। मुख्यमंत्री रहते तो हम डर से बोलते भी नहीं गुस्साते ज्यादे हैं संशोधन देने पर।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

''विधेयक के खंड-10 में प्रस्तावित उप खंड-(ग-1) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''किसान की वैसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए काफी उपयोगी हो सामाजिक उपयोग के लिए निर्मित भवन एवं वैसी संपत्ति जिससे सार्वजनिक हित का नुकसान न हो रहा हो पट्टे अथवा किराये पर लेने का प्रस्ताव किया जा सकता है मगर ख्याल रखना होगा कि वैसी भूमि, भवन से संपत्ति धारकों को जीवनयापन में नुकसान न हो रहा हो।''

अब बोलिये, बोलिये श्रीमान्।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-10 में प्रस्तावित उप खंड-(ग-1) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

''किसान की वैसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए काफी उपयोगी हो सामाजिक उपयोग के लिए निर्मित भवन एवं वैसी संपत्ति जिससे सार्वजनिक हित का नुकसान न हो रहा हो पट्टे अथवा किराये पर लेने का प्रस्ताव किया जा सकता है मगर ख्याल रखना होगा कि वैसी भूमि, भवन से संपत्ति धारकों को जीवनयापन में नुकसान न हो रहा हो।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

श्री अत्रि मुनि ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, शायद ही ऐसा कोई विधेयक इस सदन के अंदर में आया होगा जिसपर इतना संशोधन के बाद ऐसे संशोधन जो जनता से जुड़ा हुआ है। उसके बावत भी अगर ये सदन उसे पारित करता है तो हम समझते हैं कि बिहार के हित में नहीं है।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन) विधेयक, 2017''

स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हों।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, आज यह औद्योगिक प्राधिकार से संबंधित संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें सिर्फ रेगुलेटरी पावर है, उसको बढ़ाने की कोशिश की गयी है। बिहार में उद्योगों की जो स्थिति है तो पिछले 10-12 वर्षों की समीक्षा अगर की जाय तो कितना प्रयास किया गया और कितने उद्योग बिहार में लगे और क्यों नहीं लग रहे हैं ? मैं समझता हूँ कि उन बातों को तवज्जो देकर उससे संबंधित यदि एक्ट में कोई प्रावधान है जो बाधा की तरह कार्य तो नहीं कर रहा है, कहीं इन्सपेक्टर राज को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है.....क्रमशः।

टर्न–17/29.11.17/अशोक

श्री आलोक कुमार मेहता : क्रमश : इस तरह के संशोधन से तो इन्सपेक्टर राज को और बढ़ावा देगा । बियाडा में वर्ष 2007–08 में जिस तरह से औद्योगिक भूमि का आवंटन, भ्रष्टाचार के साथ करने का काम किया, बहुत सारी अनियमितितायें उसमें हुई, सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया था, क्या हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो सरकार की निगरानी की एजेंसी हैं, सरकार का जो मॉनेटरिंग एजेंसी हैं, क्या उसने इस बात का अध्ययन किया कि उद्योग में आपके पिछले जो प्रयास हुये उसमें उद्योगों की क्या स्थिति है, बिहार में कितने उद्योग लगे, बिहार में कितने उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, बिहार में जो उद्योग लगे हुये थे, उसमें बंद होने वाले उद्योगों की कितनी संख्या है और क्यों बंद हुई, सिंगल विडो सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है इसके पहले भी प्रयास किये गये लेकिन सिंगल विडो सिस्टम सिर्फ नाम का रह जाता हैं, ब्योरोक्रेटिक हड्ल इतना ज्यादा आता हैं कि बाहर से आने वाले उद्योग की जो स्थिति है वह बिल्कुल पस्त होकर यहां से लौट जा रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी एक चर्चा के क्रम में स्वीकार किया है कि बिहार में उद्योग लगाने का महौल नहीं है, महौल कैसे बनेगा ? पुलिस संशोधन एक्ट जो हुआ था, उसके बाद पुलिसिंग जो है बिहार का उसका क्या हश्र हुआ, अपराध भी बढ़े और उसमें थाने में, थाने में इतना ज्यादा इम्पावर्ड कर दिया गया कि कोई बात किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं, अत्याचार थाने के स्तर पर भी होने लगे, बहुत ज्यादा बढ़ गये । उसी तरह बियाड जो हैं, बियाडा एक ऐसी ऑथरिटी है जिसमें आप इनेबलिंग द बिजनेस, इनबलिंग द इन्स्ट्रीज टू ऑपेन हेयर, इनेबलिंग दी बिहार टू ग्रो इन्डस्ट्रीजवाईज । इस तरह का एक जो संशोधनात्मक पहल होना चाहिये था, मैं समझता हूँ कि इस संशोधन में बिल्कुल नहीं है, बल्कि और भी यह विधेयक, यह संशोधन जो हैं वह ब्योरोक्रेटिक हड्ल बढ़ाने वाला है । इसलिए हमारा मानना है कि इस संशोधन विधेयक पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इसे फिर उस ढर्रे पर जिससे कि बिहार में उद्योगों की संख्या बढ़े, उद्योग अधिक से अधिक लगे और बिहार में औद्योगिक विकास का एक महौल बने, उस ओर प्रयास करना चाहिए । बहुत बहुत धनयवाद ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : आप तो संशोधन भी दिये थे, बोलना चाहते हैं तो बोलिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : समाननीय अध्यक्ष जी, आज जिस परिस्थिति में हमलोग संशोधन बिल भी लाये थे, लेकिन जहां पर सरकार अगर इस.ई.जेड. की बात करती है, स्पेशल इकौनॉमी जोन्स का तो शायद पूरा सदन उसको एक महत्व देता । आज जिन कारणों से शराब बंदी के बाद भी आप देंखे होंगे बिहार में ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कम से कम तीन हजार करोड़ का है, जो बंद पड़ा है । कभी सरकार उसके बारे में नहीं सोंची । मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो सरकार के गलत नीति के चलते, जो जमीन आवंटित हैं उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, नीति सरकार बनाती है, आवंटन सरकार करती है और बीच में ही उसकी हत्या कर देती है। तो क्या जिन उद्योगधंधे करने वाले जिनका बैंक लायब्लिीटी हो गया उनके बाबरे में सरकार को सोचना चाहिए था । बिहार निश्चित तौर पर हर एक मामले अग्रणी हो सकता था अगर व्यापार, उद्योग ढंग से खुलते, आज कहीं भी चले जायं तो लगता है कि बिहार के जो उद्योग धंधा करने वाले हैं, बिहार छोड़कर पूरे देश में उद्योग धंघा खोल रहे है ालंकिन बिहार में नहीं कर रहे हैं । क्या कभी इसके लिए डिबेट हुआ? कभी उस पर,किसी प्रकार का आपके स्तर पर कुछ इस तरह कोई कार्यक्रम हुआ ? आप देश विदेश से लोगों को बुलाया, क्या हुआ हश्र । ये जो आप डेरकॉलियन कानून बना रहे हैं इसके बाद क्या होगा, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए थी । आज हम ये नहीं कह रहे हैं यह पूरा सदन देखेगा कि आने वाला इसके बाद हमारा कितना बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो आना वाला समय बतायेगा । यह शायद कहीं न कहीं हम समझते हैं कि आज हम कह सकते हैं कि पिछले विधान सभा में पाटलीपुत्रा कॉलनी में एक इन्डस्ट्रीज का विषय आया था , उसके ऊपर में होर्डिंग लगा हुआ था, उसको नोटिस किया गया, अपने ही इन्डस्ट्रीज पर कि आप होर्डिंग बिना परमिशन के लगाये हुये हैं एक छोटी सी घटना है और वह संजीव चौरसिया जा का कयोश्चन था और हमलोग देंख रहे थे कि सरकार का क्या पक्ष है । आज उसके बावजूद भी एक छोटी-छोटी घटना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं, एक बहुत बड़ा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को पूरा पावर दिया जा रहा है । आखिर क्या हो रहा हैं, आने वाला भविष्य बतायेगा कि इस ढंग से नहीं चलने वाला है आपको हमको अगर एस.ई.जेड. स्पेशल इकौनॉमी जोन्स, भारत सरकार भी आपका है, बिहार सरकार भी आपका हैं, आप लाते तो हो सकता हैं एक बड़ी चर्चा होती, लोग आते और कहीं से भी आ जाते जो आपके लौट चले गये बिहार से बाहर वे लोग भी इन्स्ट्रीज खोलने के लिए आते । आने वाले समय में इन चीजों को हमको और आपको माफ नहीं करेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : बिहार में रोजगार यहां के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले इसके लिए बहुत जरूरी है कि यहां इन्डस्ट्रीज आये । इतना सरकार का प्रयास रह रहा हैं,

कोशिश रह रहा है और माननीय मुख्यमंत्रीजी स्वयं लगे रहते हैं, लेकिन रिजल्ट जो अब तक आया है, जब से ये मुख्यमंत्री पद पर रहें या इनकी सरकार रही है या जब-जब डब्ल इंजन लगा हो तो अब तक, जब आंकड़ा अगर निकाला जाय, तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि बिहार में जिस प्रकार से इन्डस्ट्रीज को लाने का प्रयास करना चाहिये था, या आना चाहिए था वह इन्सस्ट्रीज यहां आ नहीं पाई तो इतना मुख्यमंत्री जी हमलोग जब महागठबन्धन सरकार तें थे तो हमलोगों ने सिंगल विडों कांसेप्ट लाया था, थोड़ा मामला को ठीक किया था, लेकिन जो स्थिति है अब तो भाजपा के लोग पूरे तरीके से मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के पीछे खड़े हैं बिहार में और जब यह यह बात आ रही हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं या कोई कहता है कि डबल इंजन लग गया है बिहार के विकास के लिए तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाजपा के तो जितने मित्र सारी पूजीपति हैं और जो केन्द्र में सरकार है वहां तो पूजीपतियों की सरकार है, अदानी हो अम्बानी जी हो, टाटा हो बिड़ला हो, चाहे जो लोग हो इतना कसरत ये लोग काहे ला कर रहे हैं? इतना कसरत करने की आवश्यकता क्यों हैं ? केन्द्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी जायं नरेन्द्र मोदी जी को बोले कि अदानी जी को बोल दीजिये यहां इन्डस्ट्रीज लगा दें, लगा देंगे इन्डस्ट्रीज । बोले अम्बानी जी को, अम्बानी जी इन्डस्ट्रीज लगा देंगे । हमारे नौजवानों को तो रोजगार मिल जायेगा । डबल इंजन आगे ले जाने के लिए है या पीछे ले जाने के लिए है । लेकिन महोदय, जिस प्रकार से जो ये लोग आरोप लगाते थे कि तथाकथित आरोप लगाते थे हमलोागें की जब सरकार थी कि अपराध हो गया है इस वजह से इन्डस्ट्रीज नहीं आती, खौफ में जीते है । आज जब अपराध चरम सीमा पर है और अपराधी का बोल-बाला चल रहा हैं तो आज क्या मानते हैं ये लोग कि अपराधियों के वजह से और लॉ एण्ड आर्डर कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है इसलिए इन्डस्ट्रीज नहीं आ रही है । आखिर कारण क्या हैं, यह हमलोग पूछना चाह रहे हैं । अभी पूरी बात, आप तो.... .(व्यवधान) बीच में, बीच में बार-बार आप उठते हैं नंद किशोर जी, आप तो मेरा अभिवावक हैं नंद किशोर जी । आप अभिवावक हैं, बोलने दीजिये । महोदय, तो हमलोगों का तो यही विनती है कि भाई खाली गुजरात को ही देंगे । मेक इन इन्डिया है या खाली मेक इन गुजरात! लेकिन मेक इन बिहार कब होगा ? इसकी भी बात हमलोगों को करनी चाहिए । यहां रोजगार नहीं मिल रहा हैं, बालू के वजह से जो बेचारे मजदूर थे उनकी भी मजदूरी छीनी जा रही है इस सरकार में, गरीब किसानों की तो बात ही नहीं की जा रही है । यहां बड़े बड़े उद्येगों को पालने की बात की जा रही हैं ,लेकिन काम के नाम पर जीरो हैं सरकार । मुख्यमंत्री जी से हमारी बात होती थी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने तो

बड़ा प्रयास किया कहीं कोई नहीं आता है और हार करके छोड़ दिया गया है । और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना रिसोर्स हैं, हर चीज आपको उपलब्ध है, इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गया है, इतना विकास हो गया है तो क्यों नहीं रोजगार उपलब्ध हो पा रहा हैं और इन्डस्ट्रीज आ पा रहा हैं इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है । हम उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि नंद किशोर जी जाकर करके सुशील मोदी जी को बोल दें, वे जाकर के अमित शाह जी या नरेन्द्र मोदी जी से मिल लें या मुख्यमंत्री आपके नेता हैं जाकर के बोलिये कि विनती करें अम्बानी और अदानी को लाकर के इन्डस्ट्रीज खुलवाये, क्यों नहीं खुलवा रहे हैं भाई ,टाटा को बोलिये खोलने के लिए, बिड़ला को बोलिये खोलने के लिए तो इसलिए हम चाहेंगे कि सकारात्मक रूप से, आप लोग बहस कीजिये या हमलोग बहस करें, आप मेरा बुराई गिनाइये और हम आपका बुराई गिनाये अब तो सब लोग अच्छे लोग हैं सरकार में, अब तो डबल-डबल इंजन लगा हुआ है, अब तो बुलट इंजन लगा हुआ है तो उस पर कुछ होना चाहिए । हम उम्मीद करते हैं कि एक-दो महीना के अंदर बहुत ही डबल इंजन का सकारात्मक जो प्रारूप है वह बिहार के जमीन की धरती पर दिखने को मिलेगाक और बड़े बड़े इन्डस्ट्रीज और कारखाने लगेंगे. ।

टर्न-18/ज्योति/29-11-2017

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और मैं इस बिल को भी देख रहा था तो उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष के बने हुए भी 4-5 महीने हो गए हैं । ज्यादा नहीं हुआ है तो इतने दिनों में लगा कि कुछ नियम कानून जान गए होंगे लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बड़ी उम्मीद थी इस नौजवान से जब मैं यहाँ बैठा हुआ देखता था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांत तो रहिये ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री : नहीं बोलने दीजियेगा तो आप भी नहीं बोल पाईयेगा । ऐसा नहीं होगा । मुझे भी बोलने का अधिकार है । मुझे बड़ी उम्मीद थी जब मैं यहाँ देखता था, उप मुख्यमंत्री के रुप में इस नौजवान को देखता था तो मुझे लगता था चलो एक आदमी तो उस राजद में है जो विकास की बात करता है। मैं बड़ा खुश था, शायद कुछ तरक्की कर ले, कुछ सीख लें, नयी बात करें राजद के सामान्य परम्परा से अलग होकर जाकर काम करें, मुझे अच्छा लगा । लेकिन मुझे आश्चर्य हो गया कि वहाँ रहने के बाद (व्यवधान) भाई नहीं बोलने दीजियेगा तो आप भी

नहीं बोलियेगा। महोदय, अगर नहीं बोलने दीजियेगा तो आप भी नहीं बोल पाईयेगा । यह नहीं चलेगा । ऐसा नहीं होगा । सुनिये, पैशेंस रखकर । मैं जानता हूँ । और आप जिस राजद के परम्परा के हैं मैं जानता हूँ । मैंने देखा है आपको । (व्यवधान) मिल जायेगा , आपको मिल जायेगा पूरे परिवार को मिलेगा चिन्ता मत करिये। महोदय, मैं कह रहा था, मैं समझता था कि शायद नौजवान ने कुछ सीखा है लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई जब मैं इनकी आज का भाषण सुन रहा था । महोदय, आप जानते हैं कि ये जो आज का बिल है , यह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में संशोधन का विधेयक है उसमें संशोधन हो रहा है । औद्यौगिक नीति पर भाषण कर रहे हैं । ये क्या हो गया है ? आखिर इस सदन के अंदर जिस विषय पर बिल आया है उसपर एक शब्द नहीं बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष और भाषण में देंगे नरेन्द्र मोदी, नरेन्द्र मोदी की क्या बराबरी करोगे ? पहले बोलने दीजिये मुझे । मेरी बात सुनिये न । पहले मेरी बात सुन लीजिये । महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी कम उम्र में सीखने की उम्र में, सीखने के बजाय ये आदमी क्या बोल रहे हैं । मुझे लगता है महोदय, ये इनके मन की बात नहीं है । ये समझे हुए नहीं है । ये कहीं से पाठ पढ़ाया जाता है । लिख कर दे दिया जाता है । रट के आकर उसको बोल देते हैं कोई जानकारी विषय की नहीं है । केवल इनको मोदी फोबिया हो गया । बात बात में मोदी दिखायी पड़ते हैं । मोदी जी का बाल बांका नहीं कर पाईयेगा । समाप्त हो जाईयेगा लेकिन मोदी जी का बाल बांका नहीं कर पाईयेगा । चिन्ता मत करिये आप ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सरकार का जवाब सुनिये । आप सब लोग तो बोल चुके हैं । तेजस्वी जी आप बोल चुके हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मैंने युवाओं की बात की है । मैंने बिहार के विकास की बात की है । मैं बिहार की तरक्की की बात की और हमने काम की बात की है लेकिन इन लोगों ने क्या किया । अपने मन की बात , बेकार की बात , बकवास बात , निजी बात यही बातें, ये लोग कर रहे हैं । काम की बात सीख लीजिये । काम की बात कीजिये । काम कीजिये । डबल इंजन है, डबल इंजन है, काम करके दिखाईये । एक महीना में लग जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए, अब सरकार की सुनिये ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : बिहार राज्य औद्योगिक विकास का ऐडमिनिस्ट्रेशन महोदय, बिहार अधिनियम 1974 के द्वारा किया जाता है । इस औद्योगिक क्षेत्र की योजनाबद्ध विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है । और पूर्व में भी महोदय, 1991 में 1974 की धारा-6 में संशोधन करके उसकी उप धारा-2 में जोड़ी गयी थी । अब चूँकि समय के साथ साथ और जो जमीन के कानून में जो परिवर्तन

होने की वजह से बियाडा अधिनियम 1974 में कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ी और इस संबंध में मुझे उल्लेख करना अनिवार्य होगा और यह महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे ही प्राधिकार देश के अन्य औद्योगिक राज्यों में 1960 के दशक में ही कई बार समय के साथ साथ और चेंज औफ लॉ जो हुआ और जो लौ औफ लैण्ड हुआ, जो जमीन में नियमों के परिवर्तन की वजह से कई बार इसका संशोधन किया गया है । अन्य प्रदेशों में औद्योगिक राज्यों में और हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ी महोदय, आज देखें हैं बहुत सारी बातें इस बियाडा को ले करके चूँकि इसके जड़ में यह बात बिल्कुल सही है कि बियाडा की जमीन का उद्देश्य ही है इन्ड्रस्ट्रीयलाईजेशन करना औद्योगिक क्षेत्र बनाना और उसके माध्यम से बिहार को समृद्ध बनाना । कई बातें आज उठी हैं कि आपके यहॉ उद्योग की पॉलिसी ठीक नहीं है । सिंग्ल विन्डो सिस्टम ठीक नहीं है । आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो 2016-17 में (व्यवधान)

कहानी नहीं कह रहे हैं, जानिये उसमें कुछ जान लीजिये ।

अध्यक्ष : मंत्री जी आप इधर देख कर बोलिये ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, जो हमारा आउटपुट है । आज हमारी नयी पॉलिसी और नयी नियमावली -इस बार 2017 में नया ऐक्ट , नये रुल्स के साथ हम आए हैं और बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने जो सिंग्ल विन्डो सिस्टम महोदय, बनाया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमण किया)

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : यह कहा जाता है कि बात सही है कि पहले इसको हास्यास्पद माना जाता था कि सिंग्ल विन्डो सिस्टम कहीं डिफनीशन में नहीं है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार का सिंग्ल विन्डो सिस्टम देश का सबसे सशक्त और बेहतरीन सिंग्ल विन्डो सिस्टम बना है । मैं इसका जिक्र दो लाईन में कर देना चाहता हूँ । यह सिंग्ल विन्डो सिस्टम में हमलोग औन लाईन जितने भी संबंधित कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट का आपको क्लिरिंग लेना है, आपको औन लाईन करना है और 30 दिनों के अंदर औन लाईन उनको रिजल्ट मिल जाना है । सिंग्ल स्टेज वन क्लियरिंग मिल जाना है । देश का पहला राज्य बिहार है जिसमें इस तरीके का बनाया गया है । यदि किसी कारणवश कोई डिपार्टमेंट इसमें क्लियरिंग नहीं कर पाया तो हम उसको डिम्ड किल्यरिंग भी लेते हैं और किसी तरह का पेपर नहीं और सेल्फ एफीडेविट आपकी और इस तरह से सिग्ल विन्डो सिस्टम हमारा देश का सबसे बेहतरीन और सशक्त बना है और महोदय, कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं हैं कि यदि पूर्व के समय में यदि इन्डस्ट्री लगने में कोई एक बाधा बनी तो सिंग्ल विन्डो सिस्टम भी बाधा बनी हुई थी । लेकिन आज हम बहुत बेहतरीन सिंग्ल विन्डो सिस्टम और जो पॉलिसी इस बार हम बनाए हैं । वह इतनी बेहतरीन पॉलिसी, जहॉ ये लोग जिक्र कर रहे थे कि कोई

उद्योग बिहर में नहीं लग रहा है, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक साल बने हुई हमारी ये अभी उद्योग की नयी पॉलिसी हुई और लगभग 5 हजार करोड़ से ऊपर ये बिहार के लिए बड़ी सुखद संकेत है कि 5020 करोड़ अभी तक ये एस. आइ.वी.पी. डिपार्टमेंट कर चुकी है । एक साल के अंदर ये हमारे लिए बहुत सुखद संदेश है । हम आडाणी की बात नहीं करते हैं, हम अम्बानी की बात नहीं करते हैं । महोदय, इस बिहार की जनसंख्या अब 12 करोड़ अब होने जा रही है और 5 करोड़ से अधिक युवाओं की इसमें संख्या है और हमारे सामने, बिहार में ह्युमैन रिर्सोसेज बहुत जबर्दस्त है इसलिए हमें अनइम्पलायमेंट दूर करने और रौ मैटेरियल पर आधारित उद्योग लगाना यही हमारी प्राथमिकता है । हम वैसे उद्योग लगायें और दुनिया का आकलन महोदय, जब आप करेंगे तो यदि दुनिया में आर्थिक समृद्धि हुई है तो उसके स्मौल सेक्टर, मीडिल सेक्टर और माईक्रो सेक्टर को मजबूत करके आपने रोजगार उत्पन्न किया है और उस राज्य को संपन्न किया है ।

क्रमशः

टर्न–19/29.11.2017/बिपिन

श्री जय कुमार सिंह, मंत्रीः क्रमशः हमें जरूरत नहीं है बड़े उद्योगों का । आएं, उनका स्वागत है । अभी देखे होंगे महोदय, इस दुनिया का सबसे जाने–माने, इस दुनिया में डिजल लोकोमोटिव के क्षेत्र में या एयरोप्लेन की इंजन बनाने के क्षेत्र में अभी जी.एल.ए. से बड़ा कोई कंपनी नहीं इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसका एक बड़ा यूनिट मढ़ौरा में लगा हुआ है और इस वर्ष कोई इंजन भी बनाकर हमलोगो को देगा । आप देखे होंगे महोदय, इलेक्ट्रिक का एक बड़ा यूनिट मधेपूरा में लग रहा है । ये बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे, स्वागत करेंगे, चूंकि उनसे हमें फायदा है और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूं, मेरे यहां के 70 स्टूडेंट अभी डायरेक्ट जी.एल.ए. इलेक्ट्रीकल के इम्प्लाइज हुए और लगभग 800 इंजीनियर बिहार का डायरेक्टली इम्प्लायमेंट, वे इम्प्लाईज हो गए जी.एल.ए इलेक्ट्रिकल का और उसकी, हमारी यह भ्यू है बड़े इंडस्ट्रीज से कि शायद वो लोग इन्सिलियरी यूनिट छोटी–छोटी इकाइयां उसके माध्यम से लगेगी और बिहार में रोजगार उत्पन्न होगा और बिहार की आर्थिक समृद्धि भी बनेगी । हम महोदय, इस बियाडा का संशोधन जो लाए हैं, हम इसलिए लाए हैं महोदय कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज में संभावनाएं जो कहते हैं कि संभावनाएं नहीं बनी है, महोदय, श्रीबाबू के बाद और श्रीबाबू के समय में इंडस्ट्रीज का जाल लगा हुआ था । लेकिन गलत राजनीतिक गतिविधियों से और बिहार की सत्ता के शीर्ष की कुर्सी पर बैठने

वाले कई एक सालों तक जो गतिविधियां बिहार की बनाए रखे, बिहार की पर्सेप्शन बदलना और हम कहते हैं कि यदि 2005 में यह गठबंधन की सरकार बनी थी तो बिहार का रोड बनाना, बिजली लगाना, स्वास्थ्य की चिंता करना, शिक्षा को दुरूस्त करना, ये चुनौतियां थी । लेकिन इससे बड़ी चुनौती थी बिहार की अवधारणा को चेंज करना । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस हाउस में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बिहार की अवधारणा, जो पर्सेप्शन दूसरे राज्यों में बना हुआ है, उसको भी चेंज करने का काम यहां बिहार से किए हैं । इसलिए संभावनाएं बची हुई है और इन संभावनाओं को देखते हुए महोदय, मैं बियाडा का संशोधन और बियाडा को डेलीगेट ऑफ पावर और सामर्थ्य बनाना चाहते हैं । यह प्राधिकार सामर्थ्यवान बने, अपनी योजना बनाए, अपनी पॉलिसी बनाए और उनकी कुछ बुलेट प्वायंट मैं आपके सामने रखूंगा महोदय, जो अभी आवश्यक था जिन संभावनाओं का, अब लैंड की एवेलेबिलिटी, हमलोग दूसरे प्रदेश में महोदय जाते हैं और रोड शो करने का मुझे अवसर मिलता है देश के विभिन्न कोने में, और वहां की जो शिकायत, पर्सेप्शन बना हुआ है कि भई, हम आपके यहां जो हमारी एक मानक जो बनी हुई है लैंड का, वह हमारी कैपिटल फोर्स का 14 परसेंट लगभग कॉस्ट लगना चाहिए और हमारे यहां महोदय, आज जब लैंड एक्वायर करते हैं तो फोर टाइम्स देते हैं तो हमने इस पॉलिसी को नए ऐक्ट, रूल्स, में हमने पावर प्राधिकार को इस संशोधन के बाद मिलेगी । हम नयी एक नीति और किराए पर भवन लेने की सारी शक्ति प्रदत्त होगी और जब हम यह लैंड लेंगे महोदय, तो हम जिला के जिला समाहर्त्ता और वहां के लैंड रेवेन्यु आफिसर से, जो वहां का रेट है, जो बनी-बनाई है, रिकॉर्ड है, उसके अनुसार हम लेंगे और निश्चित तौर पर हमारा कॉस्ट घटेगा और जो फोर टाइम्स लेकर लैंड को फिर हमको डेवलप करके देते थे, उसमें भारी कमी आएगी और इंडस्ट्रीजों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा । यह संभावनाएं महोदय, हमने लिया था । यह कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं होती है और सभी चीजें ऐसे प्राधिकार का एम.डी. के यहां और प्रधान सचिव के यहां आता है, हम यह पावर भी, इस संशोधन के बाद होगा कि हमारे प्रबंध निदेशक अपने नीचे वाले पदाधिकारियों को देकर और बेहतरीन मेंटेनेंस का काम और उसकी रखवाली का काम करेंगे । हम महोदय, एक लैंड की बात हुई है । पहले जितने भी रिक्वायर्ड लैंड है, आप ले लेते हैं और इंडस्ट्रीज बनाते हैं, आप बनाइए, आपका स्वागत है, लेकिन वह लैंड का एक बड़ा भू-भाग यदि फील्ड बनकर रह गया हो तो इस संशोधन के बाद यह पावर है, वह जमीन चूंकि हम बिहार में बसते हैं, हमारे पास लैंड की किल्लत है, तो हमारी शक्ति हो तो खाली प्लौट को हमने एक्वायर करके और दूसरे किसी इंडस्ट्रीज को दे दें, यह हमलोगों ने जो शक्ति दिया है, बहुत ही बेहतरीन और वह जमीन का उपयोग करने के लिए हमलोगों ने महोदय, दिया है । कई तरीके से हमलोगों ने पावर डेलीगेट

किया है और हमारी जहां बात होती थी कि ऑडिट कराइए, हम तो सारी चीजें जो राज्य सरकार से प्राप्त होगी, अन्य स्रोत से जो हमें प्राप्त होगा, उसको खर्च करेंगे और प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष के अंत में और उसके नब्बे दिन के बाद हम उसका सारा ब्यौरा, वार्षिक कार्य योजना के तहत हम सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं । तो हम बहुत बेहतरी से और इसको बनाए हुए हैं महोदय और यह हम अपने से नहीं बनाए हैं । महोदय, इसमें पूरी डिटेल्स हमने लिया है स्टेट होल्डर से और उसकी एन्सिलियरी से । हमने कई मिटिंग और राय-मशविरा के बाद हमने इस कानून को लाया है और बनाया है । इसको सभी लोगों ने ऐपिशिएट किया है । इसको जो यूज करते हैं, जो स्टेट होल्डर हैं, हम उनसे विचार-विमर्श करने के बाद यह सहमति है, यह हम प्रस्ताव लाए हुए हैं और यह बेहतरीन प्रस्ताव है महोदय । इसमें हम कई तरीके के, चूंकि हमने बुलेट प्वायंट का कुछ जिक्र किया है और इसमें एक दो प्वायंट आपको बताकर हम इस बात को समाप्त करेंगे कि बियार्डा ऐक्ट 1974 धारा 6 में उपधारा- 3(क) और धारा- 14(ग) का (1) जोड़ा गया है कि आबंटन नीति, अंतरण नीति, निकास नीति, नवीकरण नीति अथवा औद्योगिक क्षेत्र के अच्छे प्रबंधन के लिए ऐसे ही अन्य नीति का निर्माण करेगा । भूमि की उपलब्धता हेतु बियाडा स्वयं भूमि अथवा भवन का क्रय अथवा पट्टा पर ले सकेगी । महोदय, रद्दीकरण के लिए 1974 धारा- 6 में 2 (ग) में जोड़ा गया है कि आवंटित भूमि पर आवंटन के तीन वर्ष के अंदर उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है महोदय, तो उस भूमि को हम वापस ले लेंगे और किसी अन्य को दे देंगे । तो यह हमने लाया है कि जो आज बातें, चर्चा चल रही है तो भूखंड खाली पड़ा हुआ है, मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूं । चूंकि हमारे यहां बहुत संभावनाएं पड़ी है, कई एक इंडस्ट्रीयलिस्ट हमारे पाइप-लाइन में हैं और जमीन चाहते हैं तो यह संशोधन के बाद हम बहुत बेहतरी से एक लैंड बैंक बनाने में कामयाब होंगे और जो खाली प्लौट पड़ा रहेगा, उसको भी हम दूसरे इंडस्ट्रीज को देने में कामयाब होंगे । इस तरीके से महोदय, इन सभी चीजों पर विचार करते हुए बिहार की भविष्य में उद्योग की संभावनाएं देखते हुए हमलोगों ने ऐसा निर्णय लिया है और मैं अभी सभी हाउस में बैठे हुए महानुभावों से, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक, 2017, आप लोगों से निवेदन है कि इसको पास किया जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 51 है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बृस्पतिवार दिनांक 30 नवम्बर 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।